शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 11 अंक : 9 1 अप्रैल 2019

(चैत्र, विक्रम संवत् 2076)

संस्थापक
स्व. मुकुन्दराव कुलकर्णी

❖

परामर्श
के.नरहरि
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक
सन्तोष पाण्डेय

❖

सह सम्पादक
भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक
डॉ. शिवशरण कौशिक

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी
नौरंग सहाय
कार्यालय प्रभारी
आलोक चतुर्वेदी : 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/– वार्षिक शुल्क 200/–
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

हम भारत के लोग ❑ सुरेन्द्र चतुर्वेदी

ये आश्चर्यजनक है कि देश में 7 राष्ट्रीय दल और 24 प्रादेशिक दल और 2044 बिना मान्यता वाले दल होने के बाद भी देश की जनता का एक बड़ा वर्ग लोकतंत्र के इस उत्सव से अलग ही रहता है। यह भी तब जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव, शिक्षण संस्थानों के चुनाव, छात्र संघों के चुनाव और यहाँ तक कि मौहल्ला समितियों, मंदिरों और समाजों तक के चुनाव होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि देश में हर समय कहीं न कहीं लोकतंत्र का उत्सव चल रहा होता है। उसके बावजूद हम लोकतंत्र के उत्सव में अधिकाधिक लोगों को भागीदार बनाये रखने में सफल नहीं हो पाये हैं।

6

अनुक्रम

4. मजबूत राष्ट्र और मजबूत सरकार – सन्तोष पाण्डेय
8. डिजिटल डेमोक्रेसी : लोकतंत्र का सजग प्रहरी – प्रो. मधुर मोहन रंगा
10. बेरोजगारी व सरकारी प्रयास – डॉ. राजेश जांगिड़
13. ग्रामीण विकास योजनाएँ – डॉ. सुमनबाला
17. 21वीं सदी : स्वर्णिम भारत – श्रीमती दीप्ति चतुर्वेदी
19. ग्रामीण विकास की दिशा में बढ़ते कदम – डॉ. अनीता मोदी
22. लोकतंत्र में महिला बराबरी की चुनौतियाँ – बजरंग प्रसाद मजेजी
24. Challenges to the Secular Ethos of a Nation – Dr. Geeta Bhatt
26. Challenges of Indian Foreign Policy in the Context of Integral Humanism – Dr. Sudhir Singh
28. वीर शहीद तुझको प्रणाम – उमेश कुमार चौरसिया
32. स्वामी विवेकानंद दर्शन – आज की प्रासंगिकता – डॉ. विवेक कुमार
36. गाँधी का रामराज्य और आज की राजनीति – प्रो. सतीश कुमार
38. मातृभूमि भारत (कुटुम्ब प्रबोधन : अध्याय-13) – हनुमान सिंह राठौड़
41. गतिविधि

National Security and the present Government

❑ Dr. T. S. Girishkumar

The more people of a Nation are unified and together, the more that Nation shall be strong. Thus, the more intense is Bharatiya Sanskriti at the experiential level of each individual of Bharat, the stronger Bharat shall remain. One need not demonstrate the presence of Bharatiya Sanskriti at personal level with each Nagarik, it can be seen and felt by simply looking at the people of Bharat alone. This becomes the first sheath of security of our Nation, the real security from within itself. We also see from history that whenever this Sanskriti was let latent, there were aggressors who came in to conquer.

29

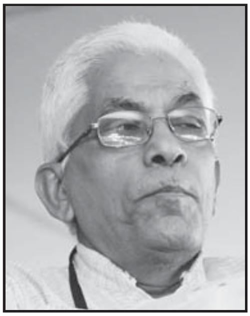

मोदी सरकार वास्तव में पिछली सभी सरकारों से भिन्न सरकार है। यह भाजपा नीत एनडीए प्रथम की सरकार की नीतियों को पुष्ट कर जनसाधारण के सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को एक नया कलेवर व नई दिशा देने में जुटी हुई है। इन सभी नीतियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। स्वच्छता अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक ने देश को एक नई दृष्टि दी है। सर्व समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुये बैंकों में सभी के खाते खुलवाने का अभियान चलाया व 32 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गये। आज इन खातों में नब्बे हजार करोड़ से अधिक की राशि जमा है, जो देश के विकास में काम आ रही है। सरकारी सहायता के नाम पर देश में भारी लूट रही। इसे लाभार्थी के बैंक खाते में डालने के निर्णय से न केवल पारदर्शिता आयी व सरकारी लूट पर रोक लगी साथ ही लाभार्थी भी यह समझ सका कि उसे किस मद में कितना प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

मजबूत राष्ट्र और मजबूत सरकार

❑ सन्तोष पाण्डेय

संपादकीय

देश ने 2014 के निर्वाचन से पूर्व अल्प मत सरकार सहित अनेक गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। यूपीए द्वितीय की सरकार से संपूर्ण देश त्रस्त रहा। नीतियों व कार्यप्रणाली की कमजोरियों का ही परिणाम रहा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, संसाधनों की खुली लूट रही व गठबंधन के घटक दलों ने सार्वभौम इकाई की भाँति आचरण किया। देश नीतिगत पंगुता से ग्रस्त रहा। ऐसे वातावरण में 2014 के चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया व उल्लेखनीय रूप से 30 वर्षों के पश्चात् किसी राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया व श्री नरेन्द्र मोदी के सबल विजनरी (Visionary) व दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार का गठन किया। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार स्वाभाविक रूप से स्पष्ट नीतियाँ अपनाने व देश को निर्दिष्ट दिशा में ले जाने में समर्थ होती है। मोदी सरकार ने भी देश को नई दिशा प्रदान करने का संकल्प लिया और सबका साथ-सबका विकास का ध्येय रखते हुये भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन की आधारशिला रखी। नई नीतियों द्वारा देश में नये उत्साह व विश्वास का संचार किया। आगामी लोक सभा के गठन के लिये चल रही प्रक्रिया में देश इन्हीं नीतियों व कार्यक्रमों पर गंभीर बहस कर रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गठित सरकारों पर एक विचारधारा का विशेष रूप से प्रधान्य रहा। यही शक्ति का केन्द्र रही। यह विचारधारा मुख्यत: पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी व धर्म निरपेक्षतावादी तत्त्वों से युक्त रही। इससे परे भी कोई विचार हो सकता है, से दूर रही। देश में वैकल्पिक विचारधारा जो राष्ट्र, राष्ट्रीय गौरव, सांस्कृतिक विरासत, आत्मगौरव, स्वाभिमान, स्वदेशी स्वावलंबन पर आधारित थी, ने सरकारी संरक्षण के अभाव को ही नहीं झेला वरन तीव्र विरोध के कारण सुसुप्तावस्था में एक ही राजनीतिक दल के सत्ता पर लगभग एकाधिकार तथा धीरे-धीरे इस दल का एक ही परिवार में सिमट जाने की प्रवृत्ति से राष्ट्रवादी ताकतों ने राजनीतिक विचार शून्यता को भरने में उत्प्रेरक का कार्य किया। 2014 में मोदी सरकार के गठन के समय से ही 70 वर्षों से सत्ता का सुख भोगने वाले सहभागी पक्षों ने सरकार को घेरना प्रारम्भ कर दिया। सरकार द्वारा अपनाई गई सभी नीतियों को असत्य, गलत आँकड़ों व आँकड़ों में हेरफेर, समाज को बाँटने वाली, दलित व कमजोर वर्ग की उपेक्षा करने वाली व जुमलों की सरकार घोषित करने में देर नहीं की। ये निहित स्वार्थ वाली नीतियों के समर्थक सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने सरकार को संविधान व सार्वजनिक संस्थाओं व संवैधानिक निकायों को नष्ट करने वाली सरकार के रूप में आरोपित किया। भाजपा के विरोध में बड़े-बड़े जिम्मेदार नेताओं ने तो यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया कि यदि वर्तमान चुनाव में भाजपा जीती तो यह देश के अन्तिम चुनाव होगा। यह दल व नेता यह भूल जाते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरे तक जा चुकी है। बड़े-बड़े प्रचण्ड बहुमत वाली सरकारें व आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस सरकार भी इसे हिला नहीं सकी है। देश की जनता गरीब व अनपढ़ हो सकती है परन्तु उसका नीर-क्षीर विवेक बाकी है। यही कारण है कि मतदाता आपात काल के बाद कांग्रेस को उखाड़ सका तो अकुशल शासन व राजनीतिक मतभेद से ग्रस्त जनता सरकार के कार्यकाल पर विराम लगा सका। वर्तमान चुनावों को इसी संदर्भ में देखना चाहिये तथा राष्ट्रवादी विचारों से परिपूर्ण वर्तमान सरकार का मूल्यांकन कर समर्थन देना चाहिये।

मोदी सरकार वास्तव में पिछली सभी सरकारों से भिन्न सरकार है। यह भाजपा नीत एनडीए प्रथम की सरकार की नीतियों को पुष्ट कर जनसाधारण के सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को एक नया कलेवर व नई दिशा देने में जुटी हुई है। इन सभी नीतियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। स्वच्छता अभियान से लेकर आयुष्मान भारत तक ने देश को एक नई दृष्टि दी है। सर्व समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुये बैंकों में सभी के खाते खुलवाने का अभियान चलाया व 32 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गये। आज इन खातों में नब्बे हजार करोड़ से अधिक की राशि जमा है, जो देश के विकास में काम आ रही है। सरकारी सहायता के नाम पर देश में भारी लूट रही। इसे लाभार्थी के बैंक खाते में डालने के निर्णय से न केवल पारदर्शिता आयी व सरकारी लूट पर रोक लगी साथ ही लाभार्थी भी यह समझ सका कि उसे किस मद में कितना प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरण (Direct Benifit transfer) ने नीतियों व कार्यक्रमों का स्वरूप बदल दिया है। देश को आगे ले जाने की दृष्टि से डिजिटलीकरण को आवश्यक मानते हुये डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया

गया है। आज इसके कारण बैंकिंग व्यवसाय लेन-देन में सुविधा की तीव्रता से जन-जन लाभान्वित हो रहा है। गाँव-गाँव तक प्रशासन को पहुँचाने में सरकार सफल रही है। गाँव व कृषि व्यवस्था भारत की जीवन रेखा है। इसको विकसित व सुदृढ़ किये बिना भारत के सशक्त होने की कल्पना भी संभव नहीं है। 'सबका साथ, सबका विकास' को दृष्टिगत कर बड़ी संख्या में व्यापक सरकारी कार्यक्रम बनाये गये हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो, नई व आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग हो, सिंचाई का बेहतर व व्यापक नेटवर्क हो, कृषकों की सहायक आय वृद्धि के विकल्प हो को केन्द्रित कर कृषि के साथ-साथ डेयरी, मछली, मुर्गीपालन सहित अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सभी का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दो गुना करना है। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना बनायी गई है जिसके अन्तर्गत सस्ते मकान बनाने को प्रेरित किया गया है। इसके लिये आसान ऋण व्यवस्था है व सरकार ने करों में छूट के साथ-साथ ऋण पर ब्याज भुगतान में बड़ी सहायता उपलब्ध कराता है। किसानों की स्थिति उपज के मूल्य से बहुत प्रभावित होती है। इस हेतु सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण लागत के डेढ़ गुणा पर तय किया है। हाल ही में कृषि उत्पादों के खरीद मूल्यों में कमी को देखते हुये प्रधानमंत्री कृषक निधि योजना प्रारंभ की है। मनरेगा की भाँति यह भी एक बड़ा ग्रामीण सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है।

देश में निर्माण को प्रेरित करने व स्वदेशी की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु मेक इन इण्डिया को प्रेरित किया गया है। व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाये गये हैं। ईज आफ डूईंग (Ease of doing) बिजनेस की अन्तरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत 141 वें स्थान से बढ़कर 70वें स्थान पर आ चुका और लक्ष्य प्रथम 50 देशों में आने का है। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योग को देखते हुये विशिष्ट कार्यक्रम अपनाये गये हैं। इनमें सड़क निर्माण की गति को दोगुना करना, वायु यातायात को बढ़ावा देना, जल परिवहन विशेष कर अन्तर्देशीय व तटीय जल परिवहन की सुविधा बढ़ाने, रेलों में व्यापक सुधार कर के कार्यक्रम पूरे हुये हैं। उद्यम को प्रेरित करने की दृष्टि से स्टार्टअप व रोजगार कौशल में वृद्धि से स्किल इंडिया कार्यक्रम तेजी से प्रभावी बनाये जा रहे हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधायें देश की भावी प्रगति के आधार का कार्य करती है। देश में शिक्षा प्रसार व गुणवत्ता सुधार के लिये प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम व इंस्टीटयूशन ऑफ कॉमन इमीनेस स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक राज्य में आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया गया है। प्रत्येक जिले में मेडीकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को प्रभावी बनाया गया है। बालिका शिक्षा व सुरक्षा के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु धार्मिक टूरिज्म को मजबूत बनाया जा रहा है। टूरिज्म द्वारा रोजगार के बड़े अवसर बनाये जा सकते हैं।

आज भी देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी व गरीबी है। सरकार की नीति है कि दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं व्यक्ति को सशक्त बनाया जाय यदि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाया जा सके तो रोजगार की समस्या का निदान हो सकता है। कोई भी देश या समाज सभी सदस्यों को नौकरी प्रदान नहीं कर सकता है, एतदर्थ देश में नौकरी चाहने वालों के स्थान पर नौकरी देने वाले व्यक्ति के निर्माण को प्रेरित करना होगा। स्वरोजगार के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम, मुद्रा योजना, एसएमएसई का सुदृढ़ीकरण, स्किल इंडिया, डिजिटलीकरण इसी रोजगार सृजनकर्ता निर्माण के उदाहरण हैं।

वर्तमान निर्वाचन के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा व अन्तरराष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका विगत में बहुत कमजोर रही है। परन्तु मोदी सरकार के दूरदृष्टा दृष्टिकोण से स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। आज विश्व के समस्त अन्तरराष्ट्रीय मंचों व संगठनों में विशिष्ट स्थान रखता है। देश आर्थिक रूप से सबल होकर भी वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई है। देश आतंकवाद के नियंत्रित ही नहीं वरन समूल उन्मूलन के प्रमुख पैरोकार के रूप में उभरा है। भारत स्वयं भी आतंकवादी, माओवादी व विभाजनवादी गतिविधियों का शिकार रहा है। मोदी सरकार ने इन सभी के उन्मूलन के लिये मसल पावर नीति को अपनाया है। पठान कोट, उरी व पुलवामा की आतंककारी घटनाओं का मुँहतोड़ उत्तर देते हुये सर्जिकल एयर स्ट्राइक की नीति को अपनाया है, इजराइल व अमरीका के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है, जो दूसरे देश की सीमा में घुसकर भी आतंककारियों व उनके ट्रेनिंग कैम्प्स को ध्वस्त करने में सक्षम है। 27 मार्च को भारत ने 300 किमी दूर अन्तरिक्ष में सेटेलाइट को मिसाइल द्वारा नष्ट करने के मिशन में सफलता प्राप्त की है। अमरीका, रूस व चीन के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन गया है। अनेक दशकों से सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण सैन्य उपकरणों, नई तकनीक आधारित आयुध विमानों, जहाजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। यह प्रक्रिया अब तेजी से पूरी की जा रही है। परन्तु इसमें बड़ा व्यवधान पूर्ववर्ती सरकारों में रहे राजनीतिक दल सरकार की मंशा में संदेह जाहिर कर, सैन्य मनोबल को गिराने व जनता में भ्रम फैलाने के कार्य में व्यस्त है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा है। एक और जहाँ देश सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार सफलता से उत्साहित हो गौरव का अनुभव कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी, मानवतावादी, उदारवादी व देश में टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थक संगठन व बुद्धिजीवी आतंकी घटनाओं के प्रत्युत्तर के प्रमाण माँग कर आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं। ऐसे तत्त्व कभी जेएनयू व जादवपुर विश्वविद्यालय में अफजल गुरु के समर्थन में एकत्रित होकर आजादी माँगते हैं, तो कभी बेमुला, पेहलू खाँ आदि के नाम उग्र विरोध दर्ज कराते हैं, परन्तु कश्मीर में 12 वर्षीय बालक की आतंकियों द्वारा अपहरण कर हत्या करने के दोषी जैसी घटनाओं का निर्दोष नागरिकों की हत्याओं पर पूर्णतः चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे दृष्टिकोण को क्या कहा जाय? विचार का विषय है। एक ओर जहाँ मोदी आर्थिक सामाजिक नीतियों द्वारा राष्ट्र की समस्याओं को दूर कर मजबूत राष्ट्र के निर्माण में रत है, वहीं समस्त राजनीतिक दल मिलकर राष्ट्रवादी सरकार को हटाने में व्यस्त है। अब समय है जब सभी नागरिक दलगत व वंशवादी राजनीतिक दलों को नकारें व पुनः राष्ट्रवादी सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। ❑

ये आश्चर्यजनक है कि देश में 7 राष्ट्रीय दल और 24 प्रादेशिक दल और 2044 बिना मान्यता वाले दल होने के बाद भी देश की जनता का एक बड़ा वर्ग लोकतंत्र के इस उत्सव से अलग ही रहता है। यह भी तब जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव, शिक्षण संस्थानों के चुनाव, छात्र संघों के चुनाव और यहाँ तक कि मौहल्ला समितियों, मंदिरों और समाजों तक के चुनाव होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि देश में हर समय कहीं न कहीं लोकतंत्र का उत्सव चल रहा होता है। उसके बावजूद हम लोकतंत्र के उत्सव में अधिकाधिक लोगों को भागीदार बनाये रखने में सफल नहीं हो पाये हैं।

हम भारत के लोग

❑ सुरेन्द्र चतुर्वेदी

हम भारत के लोग छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न हो जाते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम भारत के लोग खुशियाँ ढूँढ़ने में माहिर हैं। भारत में लोकतंत्र की स्थापना भी ऐसा ही उत्सव है। लेकिन, पूरा भारत इसमें शामिल नहीं होता। 2014 के आम चुनावों में भी जब अच्छे दिन के नारे के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में हवा बह रही थी और हर आदमी मनमोहन सरकार से निजात पाना चाहता था तब भी देश के 66.3 प्रतिशत लोगों ने ही इस उत्सव को मनाया था।

ये आश्चर्यजनक है कि देश में 7 राष्ट्रीय दल और 24 प्रादेशिक दल और 2044 बिना मान्यता वाले दल होने के बाद भी देश की जनता का एक बड़ा वर्ग लोकतंत्र के इस उत्सव से अलग ही रहता है। यह भी तब जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव, शिक्षण संस्थानों के चुनाव, छात्र संघों के चुनाव और यहाँ तक कि मौहल्ला समितियों, मंदिरों और समाजों तक के चुनाव होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि देश में हर समय कहीं न कहीं लोकतंत्र का उत्सव चल रहा होता है। उसके बावजूद हम लोकतंत्र के उत्सव में अधिकाधिक लोगों को भागीदार बनाये रखने में सफल नहीं हो पाये हैं।

खैर, प्रश्न यह है कि क्या एक बार वोट डाल देना ही लोकतंत्र है ? क्या हम बुद्धिजीवियों ने भारत के सामान्यजन को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण देने की कभी कोशिश भी की है। दरअसल होता यह रहा है कि देश के राजनीतिक दलों, सरकारों ने केवल वोट डालने को ही लोकतंत्र का पर्याय बना दिया है और भारतीय मतदाता को यह समझा दिया कि तुमने वोट डालकर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली है, अब हम सरकार हैं और हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे ! और देश की जनता इसी बात को सनातन मान कर बैठ जाती है और फिर किस्मत को दोष देती है कि उन्होंने कैसा जनप्रतिनिधि चुना है?

तो अधिकतम मतदान का न होना और वोट डालने को ही अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेना, ऐसे दो बड़े कारण जिनके चलते योग्य सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है और मजबूर सरकार

सत्ता में बनी रहती है और मतदाता यह सोचता है कि यह सरकार जनाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो जिम्मेदार और योग्य जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए भारत के नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। जिससे देश न केवल जनाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार का चुनाव कर सके अपितु वो ऐसी मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार भी हो जो विश्व पटल पर अपनी बात को दृढ़ता से कह सके। एक बड़ा प्रश्न और है जिसके जवाब के लिए एक व्यापक बहस की जरूरत है। प्रश्न यह है कि विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में जो कि अलग अलग सांस्कृतिक, भाषाई, वैचारिक यहाँ तक कि खान-पान की विविधता के लिए जाना जाता है, वहाँ क्षेत्रीय दलों का उभार भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए मजबूती है या मजबूरी? प्रकट तौर पर तो यह लगता है कि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं और अपने क्षेत्र की जनभावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह उतना सच नहीं है । अनुभव यह बता रहा है कि क्षेत्रीय दलों ने लोकतंत्र के मर्म को ही आहत किया है, भारत की एकात्मता और समग्र समाज को भाषाई और जातिगत आधार पर बाँटकर समाज की समरसता को खंडित करने का जितना बड़ा अपराध क्षेत्रीय दलों ने किया है, वह लोकतंत्र की उदारता पर गहरा स्याह धब्बा ही है।

इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि भारत की सार्वभौमिकता को इन क्षेत्रीय दलों ने कभी भी पूरे मन से स्वीकार नहीं किया! यह भी गौर करने लायक बात है कि तमिलनाडु के राजनीतिक दल उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही राजनीतिक या अलगाववादी घटनाओं पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और न ही उत्तर पूर्वी राज्यों के राजनीतिक दलों को तमिलनाडु और कर्नाटक के विवाद में कोई दिलचस्पी है ! ऐसा क्यों है? क्या तमिलनाडु भारत नहीं है या उत्तरपूर्वी राज्य भारत से अलग हैं? ऐसा इसलिए है कि क्षेत्रीय दल समग्रता में विचार नहीं करते, वे केवल अपने क्षेत्र और अपनी ही राजनीति की चिंता करते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जातिवादी राजनीति का शिकार हो गये हैं। यहाँ राजनीतिक दल अपने क्षेत्र की जनता के भी बारे में नहीं सोच रहे, वे दो जातियों की जनसंख्या के आधार पर पूरे प्रदेश की राजनीति को ना केवल गंदा और विद्रूप कर रहे हैं अपितु देश के लोकतंत्र को भी निराश कर रहे हैं। तभी कोई सत्ता किसी राज्य को विशेष दर्जा देकर, पैसा देकर, मतदाता को खरीदकर उन्हें प्रलोभित कर अपनी वापसी को सुनिश्चित करती है और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके मन में हर भारतवासी को समर्थ और संपन्न बनाने का सपना है वो हर बार संघर्ष करती दिखाई देती है। इस नाते लोकतंत्र केवल एक दिन वोट डालने का उत्सव नहीं है, यह सदा और सर्वदा सजग रहने का अनुष्ठान है। जिसमें हर भारतीय को ना केवल वोट डालते समय लोकतंत्र के महात्म्य को समझना होगा अपितु अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक दलों और सत्ता पर भी दबाव बनाये रखना होगा, जिससे फिर कोई राजनीतिक दल भारत के मतदाता को बरगलाने के लिए ऐसे लुभावने नारे न दे पाये जो जनता को सार्वजनिक रूप से सत्ता में आने के बाद रोजगार और सक्षम बनाने की बजाय निठल्ला बैठकर घर बैठे रूपये पहुँचाने की बात करे।❑

(लेखक सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के निदेशक हैं)

जब से कम्प्यूटर की खोज हुई है तब से इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है, इस कारण मानव की कम्प्यूटर पर निर्भरता में चर घाताँकी वृद्धि (Exponential Growth) हुई है, इसी कारण एक नया डोमेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में सामने आया है। आजकल एलगोरिद्म की सहायता से व्यक्ति की रुचि की सामग्री उसे इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी कारण लोकतंत्र पर ''डिजिटल प्रभाव'' के कारण नवीन शब्द प्रचलित है 'डिजिटल डेमोक्रसी'। क्योंकि राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, प्रतिस्पर्धाओं टी.वी. चैनलों पर होने वाली बहसों, प्रतिक्रियाओं का दूरदर्शन पर व्यापक प्रचार होने से सोशल मीडिया का महत्त्व बढ़ गया है। आजकल टी.आर.पी. (Target Rating Point) की होड़ में टी.वी. चैनलों पर होने वाली बहसों ने मान्य मर्यादाओं पर प्रभाव डाला है।

डिजिटल डेमोक्रेसी : लोकतंत्र का सजग प्रहरी

❑ प्रो. मधुर मोहन रंगा

भारत में कुछ समय बाद लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। भारत के प्रथम तीन आम चुनाव 1952,1957 व 1962 बेहद शांति पूर्ण रहे तथा राजनीतिक दलों का आचार संहिता के प्रति सकारात्मक व्यवहार रहा। परन्तु 1967 के आते-आते आदर्श आचार संहिता प्रभावित होने लगी, जब से सैकड़ों गैर सरकारी टी.वी. चैनल व सोशल मीडिया का राजनीति में अत्यधिक प्रवेश हुआ है, तब से संवैधानिक, कानूनी व संहिताबद्ध आचरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। संविधान में राजनीतिक दलों से व उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई है कि चुनाव निष्पक्ष लड़े तथा सबके लिए समान वातावरण हो। अत: चुनाव आयोग को संविधान की धारा 324 के द्वारा पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया है। 21वीं सदी के प्रारम्भ में राजनीतिक दलों ने एक नई परिपाटी प्रारम्भ की विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों ने, उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए टी.वी. कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट आदि देने का वादा करना प्रारम्भ किया। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं। आज हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, राजनीति क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ विभिन्न इंटरनेट साइटों के द्वारा प्रचार के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियों का व्यापक प्रसार हो रहा है।

इन्टरनेट व मोबाईल के बाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) के विकास के कारण एक नई क्रांति का उदय हुआ है। जब से कम्प्यूटर की खोज हुई है तब से इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है, इस कारण मानव की कम्प्यूटर पर निर्भरता में चर घाताँकी वृद्धि (Exponential Growth) हुई है, इसी कारण एक नया डोमेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में सामने आया है। आजकल एलगोरिद्म की सहायता से व्यक्ति की रुचि की सामग्री उसे इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी कारण लोकतंत्र पर ''डिजिटल प्रभाव'' के कारण नवीन शब्द प्रचलित है 'डिजिटल डेमोक्रसी'। क्योंकि राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों, प्रतिस्पर्धाओं टी.वी. चैनलों पर होने वाली बहसों, प्रतिक्रियाओं का दूरदर्शन पर व्यापक प्रचार होने से सोशल

मीडिया का महत्त्व बढ़ गया है। आजकल टी.आर.पी. (Target Rating Point) की होड़ में टी.वी. चैनलों पर होने वाली बहसों ने मान्य मर्यादाओं पर प्रभाव डाला है। भारत में भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग ई-लोकतंत्र को सुदृढ़ व सक्षम बनाने में किया जा रहा है, यह सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है। इसी कारण राष्ट्र निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी इस नवीन डेमोक्रेसी से संभव हुई है। विभिन्न साइटों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी इंटरनेट साइटों, समूहों और सामाजिक नेटवर्क की विभिन्नता व विविधता के कारण मतदाता अपना अभिमत बनाने में तर्क शक्ति का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के कारण लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर खुली चर्चा जनमानस को उचित दिशा में सोचने को प्रेरित करती है इसी कारण लोकतंत्र मजबूत होता है, संचार क्रांति के कारण जन व तंत्र के बीच सार्थक संवाद लोकतात्रिक मूल्यों में नैतिकता का प्रवाह कर सकता है।

डिजिटल उपकरणों के कारण लोकतंत्र समृद्ध होता है। चुनावी प्रक्रिया, घोषणा पत्रों, स्थानीय व वैश्विक विषयों, सामरिक महत्त्व, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि समस्याओं पर तार्किक बहस के कारण विभिन्न विषय जन से तंत्र की ओर अग्रेसित होते हैं। अत: उभय मार्गीय संवाद में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से डिजिटल डेमोक्रेसी सबल होती है भारत में चुनाव आयुक्त द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान 'स्वीप' (Systematic Voters Education and Participatian - चुनावी भागीदारी), व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के द्वारा मतदाताओं को सूचित, शिक्षित, प्रेरित करना व चुनावों में मताधिकार का उपयोग करना है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ वोटर वैरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) चुनाव आयोग की एक पायलट परियोजना है, इसके द्वारा मतदाता को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है उसका मत सही व्यक्ति को मिलता है। निर्वाचन आयोग द्वारा (VIGIL) (ऑन लाइन एप है) के माध्यम से मतदाता चुनाव आचार संहिता के उलंघन की जानकारी आयोग को दे सकता है। (Vigilant Citizen and Pro active and Responsible role Citizan can Play in free and fair Elections) यह एप 31 जुलाई 2018 को लाँच किया गया। जो उपर्युक्त एक पक्षीय अवधारणा को व्यक्त करता है तथा डिजिटल डेमोक्रेसी का उजला पक्ष है। परन्तु इंटरनेट के कारण हमारी संस्थागत प्रणालियाँ व आदर्श आचार संहिता प्रभावित होने के साथ नष्ट भी होने लगे हैं, क्योंकि इंटरनेट और उससे जुड़ी सहयोगी चीजें परम्परागत राजनीतिक, ढाँचे को असामान्य प्रकार से क्षतिग्रस्त कर रही है। आजकल सोशल मीडिया ऐसी जानकारी देता रहता है जो पूर्वाग्रह व पक्षपातों को मजबूत करता है यह हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। गूगल के पूर्व कर्मचारी जेम्स विलियम ने दावा किया कि डिजिटल डेमोक्रेसी से हमारी अच्छी राजनीति करने की क्षमता कम होती जा रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए हमें 'अटेंशन इकोनॉमी' को सुधारना होगा। वर्ष 1971 में अर्थशास्त्री हर्बर्ट साइमन ने कहा था 'सूचना जिस पर पलती है, वह है इसे प्राप्त करने वाले का' 'अटेंशन सूचना की समृद्धि, अटेंशन की गरीबी पैदा करती है।' ध्यान अर्थव्यवस्था (Attentian Economy) सूचना का प्रबन्धन कर सूचनाओं के द्वारा समस्याओं का हल खोजती है। 'इंटरनेट पर' हेट स्पीच के माध्यम से एक दूसरे से मतभेद करने वाली बातें कही जाती है, वैश्विक स्तर पर इटली की 'फाइव स्टार मूवमेट' व आइसलैंड के 'पाइरेट पार्टी' ने चुनाव प्रचार में डिजिटल टेक्नोलोजी का भरपूर उपयोग किया इसी प्रकार इंगलैण्ड में ब्रेग्जिट (Brexit, is an abbreviation for British Exit) के द्वारा सहमति की धारणा बनी।

भारत में चुनाव प्रचार पूर्ण यौवन पर है, भारत का मतदाता जागरूक नागरिक है वह इन्टरनेट जैसी श्रेष्ठ व्यवस्था की पारदर्शिता को तार्किक दृष्टि से देखता है अत: हमारी मेधा के कारण डिजिटल डेमोक्रेसी से संस्थागत प्रणालियों पर कम प्रभाव होगा। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के मैथ्यू हिन्डमैन ने अपनी पुस्तक (The Myth of Digital Democray) में प्रश्न किया है कि राजनीतिक वेबसाइट व ब्लॉग से क्या निष्क्रिय व्यक्ति अधिक सामवेशी बन रहा है? मेरा मानना है कि भारत में तो यह उचित लगता है इसी कारण भारत का चुनाव आयोग मतदाता जागरूक अभियान को वरीयता प्रदान करता है। जिस प्रकार इंगलैण्ड के जनमत संग्रह में सोशल मीडिया ने अच्छी भूमिका निभाई, इसी प्रकार ट्विटर, इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब पर अधिक ज्ञान आधारित सामग्री का पोषण कर बौद्धिक प्रखरता व राष्ट्रवादी सोच का प्रचार-प्रसार कर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचकर, सबल व सक्षम सरकार का चयन करे यही वास्तविक राष्ट्र सेवा होगी। अत: डिजिटल डेमोक्रेसी लोकतंत्र का सजग प्रहरी है व लोकतांत्रिक मूल्यों की पुन: स्थापना में सार्थक भूमिका निभा रहा है, आइये हम सब मिलकर राष्ट्रीय पुन: निर्माण में अपना योगदान दें। ❑

(विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

बेरोजगारी व सरकारी प्रयास

❑ डॉ. राजेश जांगिड़

डिडले सिईज मानते थे कि देश में विकास प्रयासों के द्वारा यदि बेरोजगारी कम नहीं होती, निर्धनता कम नहीं होती तथा आय के असमान वितरण से सुधार नहीं होता तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कम होने के बावजूद विकास प्रयास को विकास नहीं मान सकते। दुनिया में इस समय रोबोट (आर्टिफिसियल इटेंलीजेंस) तथा घरेलू उत्पाद में वृद्धि की धीमी गति रोजगार सृजन के लिए बड़ी समस्याएँ मानी जा रही हैं। रोजगार का अभाव व गरीबी की अवस्था गहराई से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति के लिए पीड़ादायी है तथा समाज के लिए संसाधनों की बर्बादी है क्योंकि श्रम का संचय नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में कार्य करने का इच्छुक तथा कार्य करने के योग्य व्यक्ति को बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार माना जाता है। बेरोजगारी की समस्या विकसित व विकासशील देशों में भिन्न-भिन्न प्रकृति की होती है तथा इसके लिए भिन्न कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र (तेजी व मंदी) के दौरान जब समग्र माँग की कमी होती है तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। समग्र माँग में वृद्धि कर इस तरह की बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन के कारण सदैव एक निश्चित प्रतिशत (3 से 5 प्रतिशत के मध्य) बेरोजगारी बनी रहती है इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति व मानसून पर आधारित होने के कारण श्रमिक को कृषि कार्य के दौरान रोजगार मिल जाता है तथा कम कृषि कार्य के दौरान बेरोजगारी सहन करनी होती है। इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। प्राय: यह देखा जाता है कि कृषि कार्य में अपेक्षित आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर ये सभी रोजगार में संलग्न लगते हैं लेकिन इनमें से कुछ लोगों को यदि कृषि कार्य से हटा भी दिया जावे तो कृषि उत्पादन कम नहीं होता। ये हटाये जाने वाले व्यक्ति छिपे हुए बेरोजगार हैं व इस तरह की बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कही जाती है। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों व श्रम की तुलना में पूंजी की कमी पाई जाती है इस कारण से उत्पन्न बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव तथा दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के कारण माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार होते हैं। इसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। उक्त बेरोजगारी के प्रकार इस समस्या को समझने तथा तदनुरूप हल निकालने के लिए उपयोगी अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

भारत में रोजगार की संरचना तथा बेरोजगारी

भारत में रोजगार तथा बेरोजगार से संबंधित स्थिति को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आँकड़े तथा श्रम ब्यूरो द्वारा वार्षिक आधार पर पारिवारिक रोजगार बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण सम्मिलित है। ये तीनों स्रोत आंशिक व्याप, अपर्याप्त प्रतिदर्श आकार, कम आवृत्ति, अधिक समय अन्तराल, दोहरी गणना, अवधारणात्मक मतभेद एवं परिभाषा संबंधी बाधाओं से ग्रसित हैं। (आर्थिक समीक्षा 2016-17, पृष्ठ 255) रोजगार से संबंधित मौजूदा आँकड़ों में त्रुटियाँ दूर करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित किया गया है।

योजना आयोग के अनुसार उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जो सप्ताह में एक दिन भी बिना काम के रहता है तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन उस व्यक्ति को बेरोजगार मानता है जिसके पास सप्ताह में 15 घंटे से कम रोजगार होता है। भारत में बेरोजगारी के मापन की तीन अवधारणाएँ प्रचलित हैं।

1. सामान्य स्थिति- इसके अनुसार वे व्यक्ति बेरोजगार माने गए जिनके पास सर्वेक्षण अवधि के पूर्व के एक वर्ष में किसी प्रकार का रोजगार नहीं था।

2. साप्ताहिक स्थिति- इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास सर्वेक्षण के पिछले

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में 7 से 10 मिलियन नये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। 2017 में 7 मिलियन रोजगार संगठित क्षेत्र में तथा 3 मिलियन रोजगार असंगठित क्षेत्र में बढ़े हैं। इसके विपरीत सी.एम.आई.ई. की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के नये अवसर सृजित होने की अपेक्षा 0.5 मिलियन रोजगार में गिरावट हुई है लेकिन सी.एम.आई.ई. द्वारा श्रम बल में महिलाओं की अति न्यून भागीदारी दिखाई गई है जो नए रोजगार सृजन के अवसरों के अनुमान को कम प्रदर्शित करता है। कुछ अध्ययन (सुरजीत) यह दर्शाते हैं कि 2014-15 से 2017-18 के मध्य प्रतिवर्ष 8.7 मिलियन नये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

सात दिनों में से किसी भी दिन एक घण्टे के लिए रोजगार नहीं होता।

3. दैनिक स्थिति – यह सर्वेक्षण सप्ताह में पिछले सात दिनों रोजगार के दिनों का कुल सप्ताह के सात दिनों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दैनिक स्थिति द्वारा मापन बेरोजगारी का सबसे व्यापक मापन है इसमें सभी प्रकार की बेरोजगारी समाहित होती है। इसलिए इसके द्वारा मापी गई बेरोजगारी का अनुपात भी सर्वाधिक बड़ा होता है।

राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2011-12 में 483.7 मिलियन व्यक्ति श्रम बल (15 से 64 वर्ष की आयु) में सम्मिलित थे। इनमें से 473 मिलियन व्यक्ति रोजगार में थे। इस कुल रोजगार का 48.9 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, 24.3 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण आदि) तथा 26.8 प्रतिशत तृतीय क्षेत्र में कार्यरत था। दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार कुल रोजगार का 52 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार में था, 18 प्रतिशत नियमित वेतन रोजगार तथा शेष 32 प्रतिशत हिस्सा आकस्मिक रोजगार में संलग्न था। कुल रोजगार का 82.9 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में था तथा 17.3 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में था। संगठित क्षेत्र का तात्पर्य जहाँ सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में 10 या उससे अधिक व्यक्ति रोजगार प्राप्त हैं। 2011-12 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 39 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय सेम्पल प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 1999-2000 में सामान्य स्थिति के अनुसार 2.2 प्रतिशत बेरोजगारी थी तथा दैनिक स्थिति के अनुसार 7.3 प्रतिशत बेरोजगारी थी जो 2011-12 में सामान्य स्थिति के अनुसार 2.2 प्रतिशत तथा दैनिक स्थिति के अनुसार 5.6 प्रतिशत थी। राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की दर में काफी अंतर विद्यमान था। 2011-12 के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्यों में नागालैण्ड, त्रिपुरा, केरल, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु थे। सबसे कम बेरोजगारी गुजरात राज्य में पायी गई। राष्ट्रीय सेम्पल प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 2011-12 के समंक शिक्षित बेरोजगारी के बारे में दर्शाते हैं कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक से कम शिक्षा की तुलना में माध्यमिक व ऊपर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी अधिक थी तथा शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं की बेरोजगारी दर शिक्षित पुरुषों की तुलना में अधिक थी। यह बिन्दु हमारी माध्यमिक से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न उत्पन्न करता है। लेबर ब्यूरो 2013-14 के अनुसार सामान्य स्थिति के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत तथा देश में 4.9 प्रतिशत बेरोजगारी थी।

रोजगार में वृद्धि के प्रयास

रोजगार में वृद्धि तथा बेरोजगारी से संबंधित राष्ट्रीय सेम्पल प्रतिदर्श संगठन की अंतिम रिपोर्ट 2011-12 तक उपलब्ध है। 2017-18 की राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट अभी आना शेष है। इस रिपोर्ट की अनुपस्थिति में बेरोजगारी व रोजगार की स्थिति के संबंध में दो स्रोतों (सी.एम.आई.ई. रिपोर्ट तथा ई.पी.एफ.ओ. की रिपोर्ट) के द्वारा रोजगार में वृद्धि के प्रयास की व्याख्या की जा सकती है। इन दोनों स्रोतों के द्वारा रोजगार वृद्धि के संबंध में दिये गये अनुमानों में काफी अंतर है। एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1999-2000 से 2004-05 के दौरान रोजगार वृद्धि 2.8 प्रतिशत थी जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई। 2004-05 से 2011-12 के मध्य रोजगार में कम वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी कम दर्शाई गई व इसके लिए उच्च शिक्षा में बढ़ते नामांकन को उत्तरदायी बताया गया। यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि बेरोजगारी को ऐतिहासिक 2 प्रतिशत के स्तर पर रखने तथा श्रम बल में शामिल हो रही नई श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार में कितनी वृद्धि आवश्यक है। इस विषय में अर्थशास्त्रियों में एकमत नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रतिवर्ष 8 मिलियन (80 लाख) रोजगार सृजित होने पर अर्थव्यवस्था में पूर्व श्रम बल तथा श्रम बल में सम्मिलित होने वाले नये श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। रघुराम राजन (पूर्व RBI गर्वनर) इस रोजगार वृद्धि को 12 मिलियन प्रतिवर्ष तक प्राप्त होना जरूरी मानते हैं। भल्ला व दास का अनुमान है कि उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन विशेष रूप से महिलाओं के बढ़ते नामांकन की स्थिति में प्रतिवर्ष 4.6 मिलियन नये रोजगार सृजन की आवश्यकता है। श्रम बल की सहभागिता दर में गिरावट का प्रमुख कारण उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन है, क्योंकि उच्च शिक्षा में नामांकन होने का तात्पर्य यह है कि नामांकित व्यक्ति श्रम बल की गणना में समाहित नहीं होते। रोजगार की स्थिति के संदर्भ में एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य श्रम शक्ति में महिलाओं की घटती सहभागिता है और यह सहभागिता तेजी से घट रही है। हालांकि महिलाओं की श्रमबल में सहभागिता उनकी शिक्षा तथा परिवार की आय के साथ U (यू) आकार का संबंध रखती है। अर्थात् महिलाओं की शिक्षा तथा परिवार की आय बढ़ने पर प्रारंभ एक स्तर तक श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता घटती है तथा शिक्षा स्तर व परिवार की आय में और वृद्धि होने पर एक स्तर के बाद महिलाओं की श्रम बल में सहभागिता बढ़ने लगती है। 1983 में श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता दर 29.4 प्रतिशत थी जो 2011-12 में घटकर 23.4 प्रतिशत हो गई। 1983 में महिलाओं का शिक्षा में नामांकन 7 मिलियन था जो 2011-12 में बढ़कर 42 मिलियन तक हो गया। श्रम तथा रोजगार में महिलाओं की भागीदारी की दर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा घर में देखरेख के कार्य के वितरण से काफी प्रभावित है (मानव विकास रिपोर्ट, 2015)। 2004-05 से 2009-10 तक अर्थव्यवस्था में केवल 11 मिलियन रोजगार की वृद्धि हुई जो

प्रतिवर्ष के हिसाब से 2.8 मिलियन प्रतिवर्ष वृद्धि को दर्शाता है तथा 2009-10 से 2011-12 तक अर्थव्यवस्था में लाखों रोजगार में कमी देखी गई। वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक प्रतिवर्ष रोजगार वृद्धि 1.4 मिलियन प्रतिवर्ष थी जो देश की अर्थव्यवस्था में एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट में सबसे कम रोजगार वृद्धि देखी गई। वर्ष 2004-05 से 2013-14 के 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था में 21 मिलियन नये रोजगार सृजित हुए जो प्रतिवर्ष वृद्धि के रूप में 2.3 मिलियन प्रतिवर्ष के रूप में थी (सुरजीत भल्ला)। अर्थव्यवस्था में ये रोजगार विहीन वृद्धि के वर्ष थे। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि का समय था लेकिन रोजगार वृद्धि प्रतिवर्ष मात्र 0.6 प्रतिशत रही।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में 7 से 10 मिलियन नये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। 2017 में 7 मिलियन रोजगार संगठित क्षेत्र में तथा 3 मिलियन रोजगार असंगठित क्षेत्र में बढ़े हैं। इसके विपरीत सी.एम.आई.ई. की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के नये अवसर सृजित होने की अपेक्षा 0.5 मिलियन रोजगार में गिरावट हुई है लेकिन सी.एम.आई.ई. द्वारा श्रम बल में महिलाओं की अति न्यून भागीदारी दिखाई गई है जो नए रोजगार सृजन के अवसरों के अनुमान को कम प्रदर्शित करता है। कुछ अध्ययन (सुरजीत) यह दर्शाते हैं कि 2014-15 से 2017-18 के मध्य प्रतिवर्ष 8.7 मिलियन नये रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

2015 के पश्चात रोजगार सृजन को तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सड़क निर्माण (सड़क निर्माण श्रम का अधिक उपयोग करने वाली गतिविधि है), मुद्रा पहल (लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करने का कार्यक्रम), ग्रह निर्माण क्षेत्र में तेज पहल तथा नियोजकों को मजदूरी सहायता के कार्यक्रम अपनाये गये। विमुद्रीकरण तथा वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक अनिश्चितता के द्वारा आर्थिक वृद्धि व रोजगार सृजन पर अल्पकालीन प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले थे लेकिन विमुद्रीकरण का प्रत्यक्ष करों तथा जी.एस.टी. का अप्रत्यक्ष करों की अनुपालना पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। सरकार के द्वारा उच्च मार्ग निर्माण द्वारा गति पहले से दो गुना की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 13 करोड़ घरों का निर्माण किया गया तथा देश के 100 प्रतिशत गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा 15.56 लाख लोगों को 7.23 लाख करोड़ के मुद्रा ऋण प्रदान किए गए। मुद्रा ऋण के पीछे की संकल्पना रोजगार माँगने वालों को रोजगार प्रदान करने वालों के रूप में बदलकर देश में लघु उद्यमिता का विकास करना था। अकुशल तथा आकस्मिक श्रम के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा में व्यय आवंटन में वृद्धि की गई। वर्ष 2016-17 में इस योजना में पूर्व से सर्वाधिक आवंटन करते हुए 235.4 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 2016-17 में 3000 करोड़ रु., राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सब्सिडी युक्त ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उद्यमों को स्थापित करके स्वरोजगार तथा सवैतनिक रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा अल्पावधिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दीर्घकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के आँकड़े एकत्रित करने की प्रणाली व स्रोत विभिन्न हैं व इन स्रोतों की अपनी न्यूनताएँ हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की सीमाएँ हैं। अधिकांश रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र में भी अनौपचारिक रोजगार का अनुपात बढ़ता जा रहा है जो वर्ष 2004-05 में 48 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 54.6 प्रतिशत हो गया। श्रम बल में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर उच्च शिक्षा में महिलाओं का बढ़ता नामांकन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा घर में देखरेख कार्य में संलग्नता के कारण कम है। रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति की जानकारी राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन की 2017-18 की रिपोर्ट आने के पश्चात अधिक स्पष्ट हो पायेगी।

वर्ष 2004-05 से 2013-14 के मध्य कुल 21 मिलियन अर्थात् प्रतिवर्ष 2.3 मिलियन रोजगार सृजित हुए अर्थात् 2004-05 से 2013-14 के मध्य रोजगार वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत थी जो 1999-2000 से 2004-05 के रोजगार वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत से काफी नीचे थी। 2004-05 से 2013-14 की उच्च वृद्धि दर रोजगार विहीन वृद्धि दर थी। 2015 के पश्चात् सरकार द्वारा श्रम गहन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर लघु उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान कर, सड़क निर्माण की गति दो गुनी कर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 130 मिलियन आवासों का निर्माण तथा कौशल विकास के बढ़े हुए प्रयासों द्वारा रोजगार सृजन को गति देने का प्रयास किया गया।

एक अनुमान के अनुसार 2004-05 से 2013-14 के 9 वर्षों के काल (स.प्र.ग. सरकार) में अर्थव्यवस्था में 2.3 मिलियन रोजगार प्रतिवर्ष नए सृजित हुए जबकि 2014-15 से 2017-18 के मध्य (एन.डी.ए. सरकार) प्रतिवर्ष 8.7 मिलियन रोजगार के नए अवसर प्रतिवर्ष सृजित हुए। इन अनुमानों के आलोक में स्पष्ट है कि 1999-2000 के पश्चात् से 2017-18 तक की अवधि में 2004-05 से 2013-14 की अवधि नये रोजगार सृजन के अनुसार सर्वाधिक निष्पादन करने वाली अवधि थी। ❑

(सहआचार्य-अर्थशास्त्र राज. महाविद्यालय, जयपुर)

इस योजना की शुरूआत 2016 में की गई इस योजना का उद्देश्य फसलों के डूब जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर मुहैया कराकर किसान की आमदनी को स्थिरता प्रदान करना था। यह खेती संबंधी नवोन्मेष प्रचलन अपनाने और कृषि क्षेत्र में कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में भी किसानों को प्रोत्साहित करता है। इस योजना के तहत 366.64 लाख किसानों (26.50 प्रतिशत) को इसके दायरे में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान, खाद्य सुरक्षा, फसलों के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देने के अलावा किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13240 करोड़ के फंड के साथ इस योजना को लागू किया गया।

ग्रामीण विकास योजनाएँ

❑ डॉ. सुमनबाला

हमारा देश गाँवों में बसता है। यहाँ की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या गाँव में निवास करती है, अत: इसे गाँवों का देश भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण जीवन का अत्यधिक महत्त्व है। प्राचीन समाज में प्रत्येक समाज का जीवन सर्वप्रथम घुमंतू रहा। परिवारिक और तत्पश्चात् ग्रामीण जीवन की शुरूआत हुई है। इस प्रकार प्रत्येक देश और समाज में सामुदायिक जीवन की शुरूआत गाँव से ही हुई है परंपरागत दृष्टि से भारतीय ग्रामीण संरचना की ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था रही है जो विदेशी आक्रमणों और शासनों के झंझावातों का हज़ारों वर्षों तक सफलतापूर्वक सामना कर सके। यही कारण है कि अधिकतर विदेशी विद्वान एक भारतीय ग्रामीण को आत्मनिर्भर गणराज्य के रूप में देखते रहे हैं। समय के साथ भारतीय गाँव और ग्रामीण संस्कृति भी परिवर्तन के दौर से गुजरती हुई एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गई जहाँ गाँव के रूप में एक ऐसी तस्वीर जेहन में उभरती है जो आत्मनिर्भर गणराज्य के विपरीत धूल मिट्टी, कच्चे घर व रास्ते, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी की ओर दृष्टि को ले जाती है। इसके विपरीत शहर के रूप में चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरे रास्ते, बहुमंजिला इमारतें, बिजली, असंख्य रोजगार, उद्योग, चमक- दमक से युक्त तस्वीर जेहन में उभरती है। कितना अंतर है इन दोनों दृष्टियों में जहाँ एक तरफ़ अभाव है, गरीबी से युक्त जीवन है तो दूसरी तरफ़ उद्योग, रोजगार से युक्त ख़ुशहाल जीवन है। यही वे कारण है जिसने गाँव के लोगों को शहरों की ओर मोड़ (धकेल) दिया। गाँव व खेत सिकुड़ने लगे और शहर निरन्तर विस्तार पाते गए। जहाँ विकास और सुविधाएँ शहरों का पर्याय है वहीं पिछड़ापन और अभाव गाँव से संबंधित होते चले गए। गाँव जहाँ देश की दो-तिहाई आबादी निवास करती है उसके विकास के अभाव में देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन की कमी, सामाजिक कुरीतियाँ एवं पिछड़ापन और गरीबी मुख्य समस्याएँ हैं जिसके कारण यहाँ के लोगों को निम्न जीवन स्तर की गुणवत्ता नहीं मिल पाती है।

गाँव में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि आधारित व्यवस्था है। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और उसको करने वाला किसान है। यदि हम भारत को विश्व के मानचित्र में सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था के देश और विकसित राष्ट्र के तौर पर देखना और स्थापित करना चाहते हैं तो गाँव और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति को तेज करना और उस गति को सतत बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के प्रयासों के मद्दे नजर ऐसा नहीं है कि योजनाएँ बनी ही नहीं हों। आजादी

के बाद से ही समुदाय विकास योजनाएँ और भूमि (reforms) संविधान बनने के साथ ही 1950 के दशक में व पंचायती राज 1960 के दशक से ही क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए। ग्रामीणों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने, सामाजिक कुरीतियों व बुराइयों को मिटाने, उत्पादन बढ़ाने और गरीबी हटाने हेतु समय-समय पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, न्यूनतम कृषि मजदूरी जमीदारी प्रथा खत्म करना, भूमि (reforms) समुदाय विकास योजना पंचायती राज, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं सिंचाई के लिए बजट अंत्योदय कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएँ शुरू की गई, परंतु वर्तमान में भी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में विशेष फर्क नहीं ला सके। यह कार्यक्रम गरीबी हटाने में सक्षम नहीं हो सके और ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाए। गरीबी हटाने के लिए चलाये गए कार्यक्रम लगभग 70 वर्षों में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने का कारण, संभवतया ब्यूरोक्रेट्स द्वारा जमीनी हकीकत से दूर बनाई गई नीतियाँ, ग्रामीण पक्षों को ध्यान में न रख पाना, क्षेत्र की आवश्यकताओं का सही आकलन न कर पाना, चुनाव के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत, केवल एक पक्ष (कृषि) आधारित कार्यक्रम, दूरदर्शी योजनाओं का अभाव, विभिन्न कार्यक्रमों व पक्षों में समन्वय का अभाव, गाँवों के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और ग्रामीण भारत के बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाना होगा। यह ग्रामीण बुनियादी ढाँचा इतना मजबूत हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निरंतर बढ़ती रहे। जिस देश की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी गाँवों में बसती हो और पूरे देश का पालन-पोषण करने की जिम्मेदारी जिन गाँवों पर हो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वहाँ मूलभूत आवश्यकता पर्याप्त खेती व खेती से जुड़े व्यवसायों के लिए आवश्यक ढाँचा, कृषि उत्पादों को बेचने में मंडियों तक पहुँचाने की उचित व्यवस्था, सड़कें गाँवों में बिजली की उपलब्धता, रहने के लिए आवास आदि ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ी है जिसका कारण खेती की विकास दर में परिवर्तन है। चूंकि कृषि विकास दर हमारे देश में आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है, अत: गाँव का विकास मुख्यत: तीन आधारों पर टिका हुआ है। पहला सिंचाई की उचित व्यवस्था, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था, तीसरा गाँव में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। वर्तमान में ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ-

ग्राम सड़क योजना – ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने वाली योजनाओं में 'ग्राम सड़क योजना' महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम मजबूत तो राज्य मजबूत और राज्य मजबूत तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक केंद्र पोषित योजना है जिसमें अब तक लगभग 91 प्रतिशत गाँव तक ग्रामीण सड़क की पहुँच हो गई है और 2019 तक प्रत्येक गाँव में सड़क संपर्क के विस्तार का लक्ष्य इस योजना का है इसे योजना के अंतर्गत वर्तमान में से 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन किया जा रहा है इस योजना के तहत बनने वाले सड़कों पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा राज्य वहन करते हैं।

ग्रामीण आवास योजना – ग्रामीण भारत की एक बुनियादी जरूरत आवास योजना के तहत केंद्र स्तर पर चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है अब तक 1.35 करोड़ ग्रामीण आवास का निर्माण इस योजना के तहत करवाया जा चुका है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना – बिजली हमारी बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का आरंभ 2015 में किया गया। इस योजना में गैर बिजलीकृत गाँव का बिजलीकरण पहले से बिजलीकृत गाँव में गहन बिजली करण (घर-घर में बिजली पहुँचाना) बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सब ट्रांसमिशन और वितरण की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और संवर्धित करना किसानों के लिए फीडर स्पष्ट स्पेशल और ऊर्जा ऑडिट और घाटे को कम करने के लिए फीडर वितरण ट्रांसफार्मर और उपभोक्ताओं की मीटिंग के कार्य निश्चित किए गए हैं। इस योजना की घोषणा के 1000 दिनों के बाद बिजलीकृत गाँव की संख्या 18452 हो गई है। इस प्रकार देश के 100 प्रतिशत गाँव में विद्युतीकरण के लक्ष्य की उपलब्धता को प्राप्त कर लिया। गाँव में बिजली पहुँचने का सीधा प्रभाव सिंचाई के लिए बिजली की उपयोगिता पर पड़ेगा और यह किसान की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकेगा।

कृषि संबंधी योजनाएँ - भारत सरकार ने 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरूआत की थी और इसे 19 राज्यों के 482 जिलों में लागू किया गया था इस मिशन का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाकर नियमित स्तर पर गेहूँ, चावल और दाल की उत्पादकता बढ़ाना है ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका मकसद उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी और खेती के प्रबंधन के अच्छे तरीकों के जरिए इन फसलों में पैदावार के अंतर को खत्म करना है। इस हेतु कृषि संबंधी कई योजनाएँ भारत सरकार द्वारा चलाई गई जिसमें से महत्त्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं -

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – यह कृषि और इससे जुड़े सहायक क्षेत्र में भारत सरकार की एक अहम फ्लैगशिप योजना है जिसकी शुरूआत 2007-08 में की गई थी।

इसका मकसद उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करना और किसानों की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को इंसेंटिव देने, जलवायु की स्थिति के आधार पर जिलों और राज्यों के हिसाब से कृषि योजना की तैयारी प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना फसलों के बीच पैदावार के अंतर को कम करना और कृषि संबंधी योजनाओं में स्थानीय जरूरतों, फसलों, प्राथमिकताओं के लिए बेहतर तरीके से गुंजाइश बनाना इस योजना के लक्ष्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – इस योजना की शुरूआत 2016 में की गई इस योजना का उद्देश्य फसलों के डूब जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर मुहैया कराकर किसान की आमदनी को स्थिरता प्रदान करना था। यह खेती संबंधी नवोन्मेष प्रचलन अपनाने और कृषि क्षेत्र में कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में भी किसानों को प्रोत्साहित करता है। इस योजना के तहत 366.64 लाख किसानों (26.50 प्रतिशत) को इसके दायरे में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान, खाद्य सुरक्षा, फसलों के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा देने के अलावा किसानों को उत्पादन संबंधी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 13240 करोड़ के फंड के साथ इस योजना को लागू किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों के स्तर पर सिंचाई में उचित निवेश सुनिश्चित करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण को सिंचाई के दायरे में लाना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए खेतों में पानी का संतुलित इस्तेमाल पक्का करना और पानी की बचत की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भूजल स्तर को बढ़ाना ट्रीटमेंट वाले नगर निकायों के पानी का खेती के लिए इस्तेमाल कर जल संरक्षण की टिकाऊ प्रणालियों को पेश करना और सिंचाई प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करना है। वित्त वर्ष 2017-18 में 7375 रुपये के बजट के साथ इस योजना को लागू किया गया।

परंपरागत कृषि विकास योजना – सरकार ने कृषि उत्पादन को बेहतर करने के लिए मिट्टी और पानी संबंधी मसलों को दुरुस्त करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरूआत की है। भारत में प्रचलित जैविक कृषि प्रणाली को सहारा देने और बेहतर बनाने का कार्य सरकार कर रही है। सामूहिक खेती के ढाँचे के तहत कम से कम 50 किसान एक ग्रुप बनाकर 50 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार का इरादा 3 साल में किसानों के 10 हजार समूह और 5 लाख हेक्टेयर जमीनों को जैविक खेती के दायरे में लाना है। फिलहाल वित्त वर्ष 2018 को 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को लागू किया गया।

किसान संपदा योजना – इस योजना का उद्देश्य किसानों को विपणन संबंधी सहायता के साथ प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन की सुविधाएँ प्रदान कर उनका कल्याण करना एवं उन्हें समृद्ध बनाना है। इस योजना में 2019-20 तक 20 लाख किसानों को लाभ मिलने और 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/ परोक्ष रोजगार उत्पन्न करने हैं। इसके तहत विभिन्न योजनाएँ आती हैं और यह फूड पार्क स्थापित एवं संचालित कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं में विस्तार कर रही है। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार कर रही है और किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के लिंकेज भी विकसित कर रही है। इस योजना के 'ऑपरेशन ग्रीन्स' आरंभ किया जिसमें फसलों को विपणन के लिए कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि किसानों का झुकाव निर्यात केन्द्रित खेती की ओर हो सके।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने सन् 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसको हासिल करने के लिए कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कई विभागों की लाभकारी योजनाओं का अहम योगदान होगा, वहीं डेयरी क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका अदा करेगा इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने 'नेशनल एक्शन प्लॉन, ऑन डेयरी डेवलपमेंट' तैयार कर डेयरी विकास की रूपरेखा बनाई। इसमें दूध और दूध उत्पाद को शुद्ध और सुरक्षित बनाने पर बल दिया गया। इसके लिए देशी नस्लों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। जिसमें कुछ

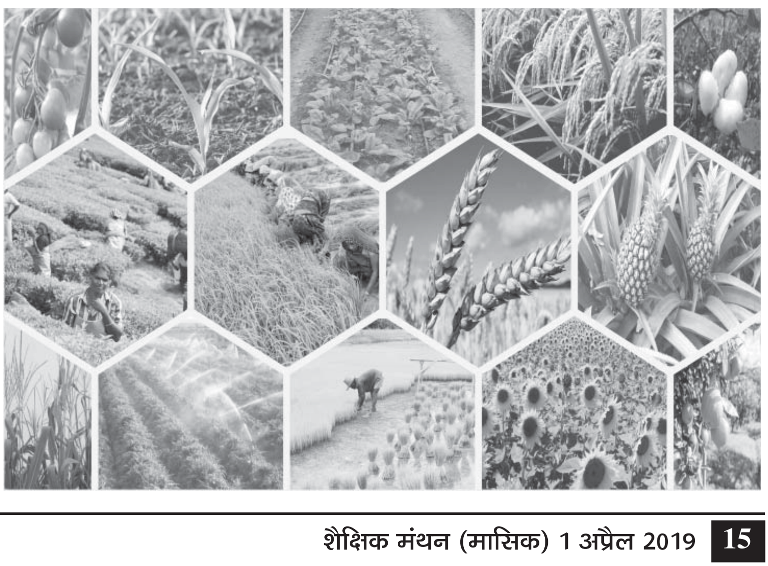

महत्त्वपूर्ण प्रयत्न निम्नलिखित हैं–

एकीकृत कृषि – सरकार एकीकृत कृषि प्रणाली पर जोर देते हुए खेती के साथ–साथ बागवानी, पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि पर ध्यान दे रही है, ताकि किसानों की आय वृद्धि के साथ सूखा, बाढ़ या अन्य गंभीर मौसमी आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सके।

श्वेत क्रान्ति – राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देशी नस्लों को संरक्षण मिल रहा है और साथ ही नस्लों में आनुवांशिक संरचना में भी सुधार किया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। साथ ही डेयरी उद्यमिता विकास योजना से स्वरोजगार के अवसर पैदा किये जा रहे हैं।

नीली क्रांति – यह समेकित मात्स्यिकी भारतीय विकास व प्रबंधन की व्यवस्था वाली नई पहल है, जिसमें अंतर्देशीय मात्स्यिकी जल कृषि समुद्री मछली, मैरीकल्चर व राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा किए गए कार्यक्रमों केअलावा डीप सी फिशिंग की भी कार्य योजना प्रारंभ की गई है।

मधुमक्खी पालन – किसानों में मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है और साथ ही मधुमक्खी पालन और शहर समितियों/ फलों के साथ पंजीकरण किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में एक रोल मॉडल समेकित मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है।

रूरल बैकग्राउंड पोल्ट्री डेवलपमेंट – इसके तहत गरीब मुर्गी पालक परिवारों को पूरक आय एवं पोषण संबंधित सहायता प्रदान की जा रहे है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़, बकरी, सुअर पालकों में अपनी आय बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करते हुए उनमें जरूरी जागरुकता फैलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना– यह योजना 2014 में लागू की गई। यह योजना वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, जिसके तहत समाज के गरीब और वंचित तबकों को किफायती तरीके से वित्तीय सेवाएँ मुहैया कराने की बात है। इस योजना में किसी भी बैंक की शाखा में या बैंक मित्र के जरिये खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। इसका मकसद आसान और सस्ते तरीके से वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है। इसके तहत मुख्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले और उन लोगों को लक्षित किया जाता है जिनके पास बैंक खाता नहीं है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया जिसका नाम 2015 में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के लिए दक्ष और असरदार संस्थागत अवसर तैयार करना है और ग्रामीण गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता बेहतर बनाना है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह और संघीय संस्थानों के जरिए देश के 600 जिलों, 6,000 प्रखंडों 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों के 7 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाने का एजेंडा तैयार किया है। इसके साथ गरीबों को उनके अधिकार, सुविधाएँ और सरकारी सेवाओं को हासिल करने में मदद की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान – यह अभियान देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करता है और इस प्रणाली से जुड़ी अहम बाधाओं से भी निपटता है। इसका उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमताओं और असर को बढ़ाना, फैसले लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गुंजाइश बनाना, पंचायतों में जवाबदेही और लोगों की भागीदारी बढ़ाना, ज्ञान के सर्जन के लिए संस्थागत ढँचे को मजबूत करना, पंचायतों का क्षमता निर्माण, संविधान की भावना और संबंधित कानून के अनुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायत की जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं को मजबूत करना, पंचायत प्रणाली के दायरे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) – यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 के आधार पर शुरू की गई। मनरेगा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी प्रदान करना है। इसे ग्रामीण इलाकों में आज भी सुनिश्चित करने के मकसद से शुरू किया गया, जिसके तहत, गरीबों और मजदूरी करने वालों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की बात है। मनरेगा को मुख्य तौर पर श्रम आधारित कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है।

मनरेगा मजदूरों को सही वक्त पर मजदूरी का भुगतान हो सके इसे सुनिश्चित करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। तकरीबन 96 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान सीधा लाभार्थी के खाते में किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की आर्थिक बेहतरीन और व्यापक सामाजिक बदलाव लाना है। गाँव के लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए मजबूत कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी में बढ़ोतरी और बाजार की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता जरूरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सबको पक्का आवास और शौचालय की सुविधा एवं 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने का मिशन पूरा करना है। समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से सबको अच्छी शिक्षा प्रदान कर देश को प्रगति के पथ पर लाने का प्रयास निरंतर जारी है। भारत सरकार ने बहुत सारी रणनीति के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों के रहन–सहन का स्तर बेहतर और बेहतर करने का प्रयास इन ग्रामीण विकास योजनाओं द्वारा किया जा सकता है। ❑

(व्याख्याता, हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय, हटूण्डी)

2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। वर्तमान सरकार ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा नया भारत जहाँ व्यवस्थाओं में अधूरापन न हो। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू की रिपोर्ट इंडियन सेंचुरी के अनुसार भारत तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था है आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नति करने वाले देशों में शामिल किया जाएगा। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा।

21वीं सदी : स्वर्णिम भारत

❑ श्रीमती दीप्ति चतुर्वेदी

भारत के अतीत की पृष्ठभूमि गौरवमयी रही है, प्राचीन भारत पूर्ण रूप से अपने आप में शक्ति संपन्न था। प्राचीन भारत शिक्षा शिरोमणि और सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात रहा है, यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र थे। कला और विज्ञान अपने विकास के चरम पर थे, परंतु राजा महाराजाओं के आंतरिक कलह ने विदेशी आक्रांताओं को आक्रमण करने हेतु लालायित किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने समृद्ध भारत को लूट लिया। इन विदेशी शक्तियों में सबसे घातक प्रभाव अंग्रेजों का रहा जिन्होंने भारत की अपार संपदा का इस कदर शोषण किया कि समृद्ध भारत सैकड़ों साल पीछे चला गया। भारत अपने धन, वैभव, कला, कौशल के लिए विश्वविख्यात था, यह स्थिति कई वर्षों तक रही किंतु अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति में निरंतर गिरावट आती चली गई।

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ भारत की जनता के उत्साह व सकारात्मक सोच ने दासता के घावों को भर दिया और भारत ने विकास की राह पकड़ी। उसी का नतीजा है कि आज का विकासशील भारत विकसित भारत बनने के पायदान पर खड़ा हुआ है, आज उन योजनाओं और पहलुओं पर नजर डालना जरूरी है जिन पर चलकर वर्तमान सरकार ने 21 वीं सदी के स्वर्णिम भारत के अध्याय को शुरू किया है।

वर्तमान केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएँ रही हैं, जिससे भारत लगातार प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है और विश्व के अंदर मजबूत होता जा रहा है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्त्वपूर्ण कदम था इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। जीएसटी से ईमानदार और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था ने जन्म लिया। देशवासियों ने शुरूआती दिक्कतों के बावजूद कम समय में इस प्रणाली को अपना लिया। नोटबंदी और जीएसटी के कारण भारत की विकास दर घटने का अनुमान था, परंतु साल 2018 में भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत रही, विश्व बैंक के डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ग्रुप के निदेशक आईहन कोसे ने बताया कि भारत अगले दशक में दुनिया की किसी भी अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्च विकास दर हासिल करने जा रहा है। 2018 में भारत विश्व की छठी

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमने कई लक्ष्यों को हासिल किया है।

जहाँ तक हमारी सुरक्षा का सवाल है। इसमें हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है। हमारी जल, थल और वायु सेना अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित व प्रशिक्षित है, किसी भी हमले का सामना करने हेतु आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित मिसाइल निर्माण की क्षमता हमारे पास है, नाग, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, आकाश, ब्रह्मोस जैसी उन्नत मिसाइलें हमारे पास हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भारत सरकार ने 13 वें दिन ही मुँह तोड़ जवाब दिया और सीमा पर आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके अपनी नई नीति और रीति का परिचय दिया पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ जिनके पास परमाणु शस्त्रों की क्षमता है।

कुछ समय पहले तक यह कहा जा रहा था कि भारत में बहुत ज्यादा लोगों के पास कम्प्यूटर नहीं है बिजली हर जगह पहुँचती नहीं है ताजा आँकड़े बताते हैं कि इस समय देश में सक्रिय मोबाइल फोनों की संख्या करोड़ों में है, यानी औसतन हर वयस्क के पास एक मोबाइल फोन है, आज इंटरनेट और मोबाइल फोन देशभर में लगभग हर तबके के लोगों तक पहुँच गए हैं। आज भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, मेक इन इंडिया के तहत ही आंध्र प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी मेडिटेक जोन की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में 18000 से अधिक गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाई थी। आज देश के हर गाँव तक बिजली पहुँच गई है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।

जन धन योजना की वजह से आज देश में 36 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए हैं, देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है आज जनधन खातों में जमा 81 हजार करोड़ रुपए इस बात का गवाह है कि इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत नौ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ कर 98 प्रतिशत हो गया है जो वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।

भारत में आयुर्वेद और योग का इतिहास हजारों साल पुराना है, आज 21वीं सदी में भी पारंपरिक इलाज के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे आयुर्वेद और योग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी विश्वसनीयता हासिल की है, वर्तमान सरकार ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर यूएन से मान्यता दिलाने में भारत सरकार कामयाब रही। आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है।

'नमामि गंगे' मिशन के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके औद्योगिक कचरे को रोककर शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।

जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया इस पैकेज में से इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग-अलग पर योजनाओं के लिए अब तक 66 हजार से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की। उड़ान योजना के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई, इस कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में यात्रा का अवसर मिल रहा है।

महिला सशक्तीकरण के लिए वर्तमान सरकार के प्रयास बहुत ही सराहनीय रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं ऐसी महिलाएँ स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपए से अधिक कार्य उपलब्ध कराया गया है। कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए मेटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मुस्लिम महिलाओं को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु सरकार तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित कराने का लगातार प्रयास कर रही है।

2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। वर्तमान सरकार ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा नया भारत जहाँ व्यवस्थाओं में अधूरापन ना हो। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू की रिपोर्ट इंडियन सेंचुरी के अनुसार भारत तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नति करने वाले देशों में शामिल किया जाएगा। वर्तमान सरकार के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा। ❑

(सहायक आचार्य -राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली)

ग्रामीण विकास की दिशा में बढ़ते कदम

ज्ञातव्य है कि गाँवों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वाधिक है। अत: कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना संभव है। कृषि को भारत की आत्मा स्वीकारते हुए सरकार ने गाँवों में कृषि के विकास हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम, संस्थागत ऋण व्यवस्था, कृषिगत आगतों यथा सिंचाई, उर्वरक, बिजली, कृषि मशीनों व बीज आदि की सुचारू व सहज व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य व फसल बीमा योजना जैसे अनेक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों के लिए न्यूनतम आय स्तर को सुनिश्चित किया जा सके, उनको विवश होकर खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़े।

❑ **डॉ. अनीता मोदी**

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था है क्योंकि देश की लगभग 71 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से देश के सकल घरेलू उत्पाद का 33 प्रतिशत, निर्यात आय का 24 प्रतिशत तथा करों से प्राप्त कुल सरकारी आय का 46 प्रतिशत भाग प्राप्त होने के कारण देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वत: स्पष्ट है।

नि:संदेह देश के गाँवों का विकास करके ही देश के समग्र व चहुमुँखी विकास की कल्पना को साकार करना संभव है। देश की अर्थव्यवस्था में गाँवों के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उचित ही कहा गया है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए यह भी कहा गया है कि, 'हमारे गाँव मानव शरीर की कोशिकाओं की तरह है। जब सब कोशिकाएँ स्वस्थ होंगी, तभी शरीर स्वस्थ रह सकेगा।'

भारत में ग्राम विकास की चेतना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के द्वारा किया गया। गाँधीजी का मत था कि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही निवास करती है अत: देश की खुशहाली गाँवों की खुशहाली व विकास पर ही निर्भर है। गाँधीजी ने प्रत्येक गाँव को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने भारत के विकास की प्रत्येक योजना का शुभारम्भ गाँव से करने पर बल दिया तथा साथ ही यह विचार भी रखा कि गाँव को एक इकाई मानकर कार्य किया जाय।

ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु मूलभूत रूप से तीन घटकों पर विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, गाँवों को गरीबी व बेरोजगारी के दोषों से मुक्त किया जाये ताकि ग्रामीणजनों के जीवन स्तर, जीवन गुणवत्ता आदि में अपेक्षित सुधार किया जा सके, भुखमरी, अल्पपोषण व कुपोषण के व्यूहचक्र से गरीबों को निकाला जा सके। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन तथा संचार व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं से युक्त किया जाये ताकि ग्रामीण जीवन भी सरल व गुणवत्तायुक्त हो सके, इन सुविधाओं के अभाव व अपर्याप्तता की वजह से ग्रामीणों को शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़े तथा तीसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का देश की राजव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था आदि में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विविध प्रकार की कल्याणकारी व विकास योजनाओं को संचालित किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढाँचे से युक्त करके उनको विकास पथ पर अग्रसर किया जा सके। पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यकम अपनाये गये। गाँवों में विद्युत, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा ग्रामीण औद्योगीकरण सहित विकास की अनेक परियोजनाएँ बनायी गयी। गाँवों में बैंकिंग, आईटी एवं बीपीओ सेन्टरों आदि में रोजगार अवसरों का सृजन करके

ग्रामीण शिक्षित युवकों को गाँवों में ही रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

विशिष्ट रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से भी सरकार गाँवों से बेरोजगारी की भयावह समस्या को समूल उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील व कटिबद्ध है। बेरोजगार हाथों को काम देने के दृष्टिकोण से देश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि को प्रारम्भ किया गया ताकि गरीबी का दंश कम करके ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास, ट्राइसेम, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुआँ योजना, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार पूर्ति योजना) को मिला कर 1 अप्रैल 1998 से 'स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना' प्रारम्भ की गई। जवाहर रोजगार योजना को 'ग्राम समृद्धि योजना' में बदला गया तथा इसका विकास क्षेत्र बढ़ाया गया। वर्ष 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का श्रीगणेश किया गया तथा इसमें पूर्व संचालित दो योजनाओं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को समावेशित किया गया। वर्तमान में इस योजना को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 मनरेगा में मिला दिया गया है।

इसी भाँति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन सूखा संभाव्य क्षेत्रों व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु किया जा रहा है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर, जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके व पर्यावरण सन्तुलन को बनाए रखकर रोजगार बढ़ाने की भरसक कोशिश कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 को संचालित किया। वर्ष 2002 में 'स्वजल धारा कार्यक्रम' के माध्यम से ग्रामीण जनों के लिए पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के उद्देश्य से 'राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' चालू की गई। भारत निर्माण योजना न केवल गाँवों में 'बुनियादी ढाँचे के निर्माण के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है अपितु गाँवों में रोजगार अवसरों का विस्तार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार प्रदान कर रही है।

ज्ञातव्य है कि गाँवों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वाधिक है। अत: कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना संभव हुआ है। कृषि को भारत की आत्मा स्वीकारते हुए सरकार ने गाँवों में कृषि के विकास हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम, संस्थागत ऋण व्यवस्था, कृषिगत आगतों यथा सिंचाई, उर्वरक, बिजली, कृषि मशीनों व बीज आदि की सुचारू व सहज व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य व फसल बीमा योजना जैसे अनेक कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों के लिए न्यूनतम आय स्तर को सुनिश्चित किया जा सके, उनको विवश होकर खेती छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़े।

गौरतलब है कि देश के अधिकांश छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हुए हैं। गरीबी के कारण किसान अपनी उपज को शीघ्र कम कीमतों पर बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य है। इन बिचौलियों के जाल से किसानों को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार ने नियंत्रित मंडियों के विस्तार, कृषि उपज के श्रेणीकरण व प्रमापीकरण, माल गोदामों की व्यवस्था, बाजार एवं मूल्य संबंधी सूचनाओं का प्रसारण व सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसी भांति, किसानों को कृषि हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित करने तथा कृषि हानि से सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा योजना, व्यापक फसल योजना तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि का सूत्रपात किया गया।

सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना एवं कर्ज राहत योजना भी कृषकों के लिए चालू की है। किसानों के कर्ज माफ करने की व्यवस्था की गई ताकि किसानों का खेती से मोह भंग नहीं हो तथा आकण्ठ कर्ज में डूबे किसानों की आत्मघाती प्रवृति पर रोकथाम की जा सके। गाँवों में 'पशुपालन' के भी रोजगार में महत्त्वपूर्ण स्थान को देखते हुये रोजगार डेयरी परियोजना, विशेष डेयरी परियोजना, सघन डेयरी परियोजना, व्यावसायिक डेयरी विकास योजनाओं आदि को शुभारम्भ किया गया।

देश में स्वतन्त्रता के पश्चात वाणिज्यिक बैंक, सहकारी साख समितियाँ, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व नाबार्ड आदि गरीब वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं से लैस करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 20 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। नि:संदेह ग्रामीण व कृषि विकास हेतु ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान महत्त्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बैंक कृषि श्रमिकों, लघु, कुटीर तथा दस्तकारी उद्यमियों तथा लघु व सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण ऋण की व्यवस्था के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई है। नाबार्ड कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने, वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रीय बैंकों को पुनर्वित्त व वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत ऋण व्यवस्था का विकास करने में

महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदत्त सहायता का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

सूचना क्रांति के इस युग में यह जरूरी है कि गाँवों में भी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व यातायात आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायें। इन सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का जाल बिछाने हेतु गाँवों में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह प्रशासन की विद्यमानता को आवश्यक समझा गया। नि:संदेह परिवर्तित परिस्थितियों में पुरातन प्रशासन की अपेक्षा ई-प्रशासन (Electronic Governance) के माध्यम से ही अच्छे प्रशासन की तरफ कदम बढ़ाना संभव है। गाँवों में ई-प्रशासन की व्यवस्था करके प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक, जवाबदेह व पारदर्शी बनाया जा रहा है। इस प्रशासन के तहत सरकारी सेवाओं, परियोजनाओं व सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने में विभिन्न इलैक्ट्रोनिक विधियों व उपकरणों की मदद ली जाती है।

ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता व सहभागिता के आधार पर विकास प्रक्रिया को गति देने हेतु 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया। तत्पश्चात् 2 अक्टूबर 1959 को बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। 'वित्तीय दृष्टिकोण से सशक्त होने पर ही पंचायतें गाँवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता हासिल कर सकती हैं।' इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए पंचायतों को शुल्क, चूंगी व फीस आदि लगाने व संग्रहण करने का अधिकार दिया गया तथा राज्य सरकार की आकस्मिक निधि से भी वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया ताकि पंचायतों को वित्तीय मजबूती उपलब्ध हो सके। यही नहीं, नियमित चुनावों की व्यवस्था करके पंचायतों को स्वायत्त, स्वतंत्र एवं महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है।

निर्विवाद रूप से इन सारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की हवा चल रही है। किन्तु इसके बावजूद सच्चाई यह है कि देश के गाँवों में अभी भी गरीबी, बेरोजगारी व भुखमरी की छाया मंडरा रही है। डॉ. स्वामीनाथन ने भी इस तथ्य को पुष्ट करते हुए कहा है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाएँ कम हो गई हैं। अत: सरकार को गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान देते हुए कुशल श्रमिकों को वहाँ नियोजित करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिये। ग्रामीण बेरोजगारों को काम देने के लिए कृषि के अतिरिक्त लघु, कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों के विकास व विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। फलों व सब्जियों के उत्पादन में देश के महत्त्वपूर्ण स्थान को दृष्टि में रखते हुए गाँवों में ही फलों व सब्जियों से संबंधित प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि ग्रामीण बेरोजगार हाथों को काम मिल सके। बेरोजगारी उन्मूलन में खादी ग्रामोद्योग भी संजीवनी का काम कर सकता है। खादी ग्रामोद्योग का पुनरूद्धार व अद्यतन करके खादी के प्रति लोगों की अभिरुचि जागृत करके इस उद्योग में रोजगार-सृजन किया जाना संभव है।

लघु, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के विकास मार्ग में अवस्थित विभिन्न अवरोधों व कठिनाइयों का निवारण करते हुए उनकी स्थापना, विकास व विस्तार हेतु ठोस, प्रभावी कदम ईमानदारी से उठाने चाहिये। ऐसा करके ये उद्योग बेरोजगारी निवारण में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी भी बन सकते हैं। इसी भांति, ग्रामीण पर्यटन के विकास हेतु प्रभावी नीति का क्रियान्वित करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में इजाफा किया जा सकता है।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासन व निरीक्षण पद्धति को अधिक सक्षम, पारदर्शी व सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण लोग निरक्षरता, पहुँच व जागरूकता के अभाव के कारण भी इन योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाते हैं। अत: इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों व स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तभी इन योजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। नि:संदेह इन सब उपायों को अपनाकर काफी हद तक ग्रामीण लोगों को गरीबी, अज्ञानता व निरक्षरता के जाल से निकालना संभव है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर को चमकाते हुए देश में 'समावेशी विकास' की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना संभव है। ❑

(सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग राजकीय (पी.जी.) कॉलेज, खेतडी, राजस्थान)

लोकतंत्र में महिला बराबरी की चुनौतियाँ

महिला-पुरुष बराबरी के अवसरों के लिए आवश्यक है कि उनके बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर सक्षम, साक्षर तथा आत्म निर्भर बनायें ताकि महिलायें अपनी मातृशक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों, उन्नत उर्जा शक्ति में उपयोग कर सके। महिलाओं से पुरुष की बराबरी के लिए अत्यावश्यक है कि शिक्षा का स्तर बढ़ायें। महात्मा गाँधी ने कहा है कि - 'शिक्षा से महिला आत्म निर्भर बनती है तथा पारिवारिक, समाजिक अज्ञानता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। शिक्षित महिलाएँ अनेक समस्याओं का समाधान कर सकेंगी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं से निजात दिला सकेगी। संस्कृति के जीवन तत्त्वों को ग्रहण कर, गरिमामय व्यक्तित्व निर्माण कर देश के सभी क्षेत्रों में भागीदार बनेंगी।'

❑ **बजरंग प्रसाद मजेजी**

स्त्री न पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान है, न प्रतिभाशाली, न मजबूत, न रचनात्मक, न जिम्मेदार। स्त्री, पुरुषों से बेहतर नहीं है, ऐसी धारणा पूर्व के कालखण्डों में की जाती रही है। लेकिन वर्तमान में स्त्री-पुरुषों से कमतर भी नहीं है। स्त्री-पुरुष दोनों बराबर की क्षमता रखते हैं। (बेरा नाजेरियन-अमेरिकी लेखक)

नारी प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और सही मायने में धरती का प्रतिरूप भी है। जैसे पृथ्वी समस्त जीवन को संजोए हुए है, उसी तरह स्त्री मानव जगत के जन्म से विकास तक की धुरी है। प्रकृति में जैसे तब्दीलियाँ होती हैं, वैसी ही स्त्री भी महसूस करती हैं। वह भी उसी के अनुरूप बदलती हैं। सृजन करती हैं, धरा पर जैसे प्रकृति जीवन को थामे रहती है, बिल्कुल वैसे ही स्त्री मानव जीवन को सम्भाले हुए है। अमेरिका के लेखक सूजन ग्रिफिन ने स्त्री की भावना को उल्लेखित करते हुए, उसके शब्दों में लिखा है कि 'हम पंछी हैं, हम तितली हैं, हम पात हैं, हम फूल हैं, हम लहरें हैं, हम धाराएँ हैं, हम गुलाब हैं, हम मधुमक्खियाँ हैं, हम सीप हैं, हम मोती हैं, हम अग्नि हैं, हम पवन हैं, धरा हैं, गगन हैं, प्रकृति की प्रतिकृति-हम स्त्री हैं।' नारी धरती सदृश्य है। वह सृष्टि रचती है, स्वयं दुख सहती है। वह जननी है, कल्याण स्वरूपा है, लालन पालन करती है, अन्नपूर्णा है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार स्त्री होम मेकर है। घर का मुख्य रूप से प्रबन्धन वही करती है। सफल गृहिणी के लिए सबसे पहले उसका परिवार है। वह खाना पकाती, पर सबसे अन्त में खाती है। सबसे पहले उठकर, सबसे बाद में सोती है। अवकाश क्या होता है वह जानती नहीं। वह भगिनी है, बेटी है, परिवार की सूत्रधार है। वह अपने माता-पिता को छोड़कर ऐसे अनजान लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चली आती है, जिन्हें वह पूर्व में जानती भी नहीं है। रिश्तों का निर्वाह और सन्तुलन उसके द्वारा ही होता है।

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस

आज से 100 वर्ष पूर्व जब पहली बार साल का एक दिन महिला दिवस का बना तो सवाल सन्तुलन का नहीं, हक का था। औरतों ने कहा हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, वोट का अधिकार, पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार, हमें मर्जी से शादी करने और न करने का अधिकार, हमें राजनैतिक फैसलों में हिस्सेदारी का अधिकार चाहिए। निरन्तर चल रहे महिलाओं की माँग पर कई देशों ने महिलाओं की भागीदारी और स्थिति को बदलने का प्रयास किया। तमाम संघर्षों के बाद भारतीय लोकतंत्र के संविधान में महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिये हैं। जमीनी हकीकत अभी भले ही सुनहरी न हो लेकिन देश का संविधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देता है। इस वर्ष अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2019 को थीम मानी गई है 'बेहतरी के लिए बराबरी'।

महिलाओं को बेहतरी की चुनौतियाँ

आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या स्त्री-पुरुष की समानता को लेकर है। जहाँ पर पुरुष द्वारा स्त्री का अपमान किया जाता है। उसे नीचा तथा कमजोर समझा जाता है। उसके अधिकारों का हनन किया जाता है। उसे बेचारी समझा जाता है। महिलाओं की इस स्थिति को समझकर, उनके उत्साहवर्द्धन एवं छिपी आत्मशक्ति के प्रकटीकरण के लिए महादेवी वर्मा ने महिलाओं की विशेषता बताते हुए कहा है कि 'नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है। आदिमकाल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्त्व और चेतना का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है।' समाज का उत्थान चाहने वाले महापुरुषों, राजनीतिज्ञों ने प्राय: समय-समय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मगौरव के साथ सम्मान प्राप्त करने की ललक पैदा करनी चाहिए। उनमें दयाभाव ज्यादा होता है इसलिए

महिलाओं को कमजोर मान लिया जाता है, जबकि वे किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। महिलाओं में ममता, स्नेह, त्याग, बलिदान, वात्सल्य, सहनशीलता, साहस और समन्वय उसकी विशिष्ट पहचान है। परन्तु, देश की वर्तमान स्थिति और व्याप्त मानसिकता के कारण महिलाओं की बेहतरी के लिए समाज और देश में व्याप्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे हैं– सामाजिक ढाँचा, आर्थिक कमजोरी, शोषण वृत्ति, जनसंख्या वृद्धि, छोटे बच्चों का लालन पालन, दहेज प्रथा, धार्मिक कट्टरता, असुरक्षा, लिंगभेद की मानसिकता, लघु परिवारवाद आदि।

महिलाओं को बराबरी के अवसरों की चुनौतियाँ

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी हेतु समान स्थिति सुधारने, विकास के अवसर उपलब्ध कराने, महिला अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विशेष प्रावधान किये हैं। अपने लिए कैसा जीवन हो इसका चयन आज भी 25 प्रतिशत महिलायें ही तय कर पाती हैं। बाकी 75 प्रतिशत महिलायें पढ़ लिख कर भी अपनी जमीन तलाश नहीं कर पाती है। महिलाओं के विकास, आत्मशक्ति को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता है। सशक्तीकरण की बाधाएँ अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक कुरीतियाँ, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्त्व, तकनीकी अज्ञानता को शिक्षा द्वारा दूर करने की आवश्यकता है। भौतिक मूल्यों के विकास, शासन प्रणाली में भागीदारी, पुरातन धारणाओं को बदलकर, क्षमता में वृद्धि कर मन: स्थिति में बदलाव कर विकास मार्ग पर स्वयं की उर्जा से आगे बढ़ने पर ही सशक्तीकरण के लक्ष्य पूरे होंगे। जब महिलाओं को अपनी क्षमता एवं योग्यता के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा तो इसका लाभ परिवार–समाज–राष्ट्र को प्राप्त होगा। वर्तमान में पूर्व की अपेक्षा इन्जीनियर, चिकित्सा, उद्योगों, कम्पनी कार्य, मशीनरी व्यवसाय, बीमा, बैंक संगठित क्षेत्र में कार्यक्षमता का शानदार प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। फिर भी अभी अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलायें अभी पीछे हैं। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स (PWUC) ने विभिन्न कार्यक्षेत्र इंलेक्स 2019 में 33 देशों में कार्यस्थल में महिलाओं की भागीदारी में आइसलैण्ड को सबसे आगे 10वें स्थान पर 79.1 प्रतिशत अंक दिए हैं। स्वीडन 76.1 न्यूजीलैण्ड 73.6 स्लोवेनिया 73.5 नार्वे 72.3 लक्जमबर्ग 71.6 डेनमार्क 70.1 पोलैण्ड 69.2, फिनलैण्ड 67.6 बेल्जियम 66.1 दिये हैं। यदि भारत इस सूची में सम्मिलित होता तो 33वें स्थान पर चीन 27वें स्थान पर होता। वेतन विसंगति–चीन में महिलाओं को पुरुषों से 25 प्रतिशत भारत में 36 प्रतिशत कम वेतन दिया जाताा है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। सेना की भागीदारी में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। सेना में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक की सेवाएँ दे रही हैं। वर्तमान में सेना में 1561 वायु सेना में 1594 नौ सेना में 666 महिलाएँ इन पदों पर कार्यरत हैं तथा महिला ब्रिगेड में सैंकड़ों महिलाएँ कार्यरत हैं इसी प्रकार पुलिस विभाग में शीर्ष पदों तक कार्य कर रही हैं। पंचायत राज में चुनावों में 50 प्रतिशत तक भाग ले रही हैं। संसद और विधान सभा में 33 प्रतिशत महिलायें जन–प्रतिनिधि के रूप में चुनी जा सकती हैं। 2014 में संसद में 543 में से 61 महिलाएँ सांसद हैं। अब तक 15 महिलाएँ विभिन्न प्रान्तों की मुख्यमंत्री बनी हैं। 2014 में महिला वोटर 65.63 प्रतिशत, पुरुष 67.9 प्रतिशत थे। 2019 में कुल महिला वोटर 42.2 करोड़ हो जायेंगे। जेन्डर गेप–बीते दशकों में घटा है। भारत में 8.11 जापान 2.71 चीन में 2.56 अमेरिका में 0.77 पाकिस्तान में 0.71 है। ऐसा अनुमान है दुनिया में जेण्डर गेप समाप्त होने में 108 वर्ष लगेंगे। भारत में 2071 तक जेन्डर गेप समाप्त होने की संभावना है।

सर्वेक्षण और शोध बताते हैं कि महिलाओं की बराबरी के लिए कहते हैं कि– 1. महिला कर्मचारी अपने कॅरियर में आगे बढ़ने के प्रति पुरुषों से अधिक प्रतिबद्ध होती हैं, 2. नीति आयोग के सी.ओ. अमिताभ कांत ने कहा है कि यदि दफ्तरों में महिलाओं की संख्या वर्तमान से दुगुनी कर दी जाए तो देश की जीडीपी 9 से 10 प्रतिशत बढ़ सकती है। 3. हाइव के अनुसार महिलायें पुरुषों के मुकाबले दफ्तरी कार्य में 10 प्रतिशत अधिक मेहनती हैं। महिला–पुरुष बराबरी के अवसरों के लिए आवश्यक है कि उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर सक्षम, साक्षर तथा आत्म निर्भर बनायें ताकि महिलायें अपनी मातृशक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों, उन्नत उर्जा शक्ति में उपयोग कर सके। महिलाओं से पुरुष की बराबरी के लिए अत्यावश्यक है कि शिक्षा का स्तर बढ़ायें। महात्मा गाँधी ने कहा है कि – 'शिक्षा से महिला आत्म निर्भर बनती है तथा पारिवारिक, समााजिक अज्ञानता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। शिक्षित महिलाएँ अनेक समस्याओं का समाधान कर सकेंगी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं से निजात दिला सकेंगी। संस्कृति के जीवन तत्त्वों को ग्रहण कर, गरिमामय व्यक्तित्व निर्माण कर देश के सभी क्षेत्रों में भागीदार बनेंगी।'

तुम अब तक समझ रहे थे,
नारी एक खिलौना है,
पल में खेला, पल में फेंका,
कपट जाल यह कैसा है?
अब न सहेगी तानाशाही,
कहती सारी बेटियाँ,
जीवन आशा जीवन शक्ति,
देवी सम हैं बेटियाँ।
कुल की इज्जत, घर की रौनक,
सदा रही हैं बेटियाँ,
देश कुल गौरवान्वित करने
अब सक्षम बनी ये बेटियाँ। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

Challenges to the Secular Ethos of a Nation

❑ Dr. Geeta Bhatt

In the Indian civilizational context,where the religious figures and rulers interacted with each other and shared a symbiotic relationship, inclusion of the word secular in our modern governance rule book has ramifications which have a partisan nature. Personal laws of various communities reflect explicit disparity in terms of rights and responsibilities. There are contradictions in the approach of executive and judiciary while addressing tradition vis a vis law. In 2015, The Supreme Court of India rejected a public interest litigation which had asked to put a ban on animal sacrifice during religious ceremonies.

A dominant voice among the two hundred plus countries in the world, is of people who believe and practice Semitic faith. Amongst the population across the globe, a large section practices traditions which profess a singular god but have separated their mode of governance from their religious practices. In other words, their state has a 'secular' identity.

However, everycountry has an inherent characteristic which emulates their popular culture and faith. The constitution of United States of America in its article VI categorically says that no 'Religious Test" shall ever be required as a qualification to any office or public trust in their country. When the present President Donald Trump took oath of office as given in Article II of their constitution, he did so by swearing on two bibles; one which his mother gave him and the other was the historic Lincoln Bible.This does not mean that religion interferes in the state but reflects the ethos of the American society.

India as a nation has its secular moorings in it culture and social values. 'Rigveda' probably the first scripture of the mankind says 'Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti'or truth is one, sages call it by various names. The Greek called us Indian and the Arabs Hindus but the fact remains that we are the only people who are a civilization, culture and religion at the same time.Various ethnic and religious identities came here and assimilated in the'one yet diverse' culture.

This was the reason that our constitution makers were not in favour of adding the word secular in the preamble of the constitution. When K.T. Shah proposed the addition of 'secular' and 'socialist' in the constituent assembly, Dr. B.R. Ambedkar who was the Chairman of the drafting committee rejected it. H.C. Mokherjee,Vice President of the constituent assembly and a practising

Christian stated "Are we really honest when we say that we are seeking to establish a secular state? If your idea is to have a secular state it follows inevitably that we cannot afford to recognise minorities based on religion."

It is an irony that the sudden inclusion of the word secular in our constitution took place when the Constitution of the country was in suspended animation and the nation was passing through the most turbulent times, during Emergency. With most of the opposition political leaders in the jail, the 42nd amendment of the constitution which changed "Sovereign Democratic Republic" to "Sovereign Socialist Secular Democratic Republic" in the preamble of the constitution took place in 1976. Secularism in itself is a western intervention which gained prominence during the conflict between the Church and the State, specifically as a consequence of Protestant reformation.

In the Indian civilizational context,where the religious figures and rulers interacted with each other and shared a symbiotic relationship, inclusion of the word secular in our modern governance rule book has ramifications which have a partisan nature. Personal laws of various communities reflect explicit disparity in terms of rights and responsibilities. There are contradictions in the approach of executive and judiciary while addressing tradition vis a vis law. In 2015, The Supreme Court of India rejected a public interest litigation which had asked to put a ban on animal sacrifice during religious ceremonies. The Chief Justice of

India observed "The balance and harmony of all faiths, this court is bound to it. This, your petition, makes generalised statements on a very, very sensitive matter. We have to close our eyes to centuries and centuries-old traditions". Many Indic festivals and their mode of celebration has been questioned in front of the judiciary and verdicts have been given. Bursting of fire crackers in Deepawali, banning the participation of minors and capping the height of human pyramids to 20 feet in the Dahi Handi festival to name a few.

When Triple Talaq PIL was filed by the Muslim women who were victims of this medieval practice, The Supreme Court agreed to hear the case only once it was proven that the practice of instant talaq was not an integral part of Islam. However, the age-old tradition of women below 10 year and above 50 to pray at Sabarimala Temple was changed by the judiciary when it was challenged in the name of discrimination of women. Selective interventions while addressing the practices and rituals of a faith which do not deprive anyone of their fundamental rights, reflect the dichotomy which was not inherent in our system.The idea and attempt to keep the state and religion separate finds mention in Mahatma Gandhi's conversation with a Christian missionary in September 1946. Gandhi said: "If I were a dictator, religion and state would be separate. I swear by my religion. I will die for it. But it is my personal affair. The state has nothing to do with it. The state would look after your secular welfare, health, communications, foreign relations, currency and so on, but not your or my religion.That is every body's personal concern!" Let us preserve the secular disposition imbibed in our heritage and reject the binaries being imposed on us. ❑

(Associate Professor and former member of Academic Council, University of Delhi)

Integral humanism talks about India's role as spiritual leader of this transformation. He opined that with the blend of economic development, Indian spiritualism could be transforming the entire global system. India has huge cultural power in Asia. fortunately, India does not have historical baggage with countries of Asia. Integral humanism has to showcase Indian view point for the resolution of contemporary Asian and global problems. It was also intended to highlight that all human beings are one irrespective of the demarcation of nation state borders.

Challenges of Indian Foreign Policy in the Context of Integral Humanism

❑ **Dr. Sudhir Singh**

Foreign policy is an art to promote and protect all round of development in any particular country. Foreign policy provides cover to its domestic policy. Since the inception of human being, relation among countries has had an integral part of the system. In ancient times it was at bare minimum because of lack of communication. With the adoption of technology propelled system, it has increased a lot. Since industrial revolution, it has taken a new lease of life and has emerged as bedrock of the global system. The First and Second World Wars have played major role and subsequently cold war period and now we are witnessing the transforming changes in the realm of foreign policy. 9/11 terror attack on New York and Washington has further intensified the process.

In the later phase of the industrial revolution, Europe emerged as imperialist continent and number of European countries had started making inroads in Asia and Africa. This new wave of imperialism has intensified the conflict within Europe which culminated as first and second world war. In this process, the values of humanityhave been eroded.

India is a civilizational country and gave many doctrines for the larger welfare of the humanity. The Deen Dayal Uppadhya was one the harbinger of this egalitarian Indian designs. He talks about the integral humanism. It respects all irrespective of the border of nation states.

Upadhyaya was of the opinion that Integral Humanism followed the tradition of advaitadeveloped by Adi Sankara .Non-dualism represented the unifying principle of every object in the universe, and of which humankind was a part. This, claimed Upadhyaya, was the essence and contribution of Indian culture.

Although, European talks high about respect of human rights but they provided equal voting rights to their womenfolk only after the end of the second world war. Even in contemporary world system, the United States led European block is supporting all known violator of human rights. Saudi journalist Khashoggi had been killed mercilessly in the Saudi consulate in Istanbul, Turkey allegedly on the directive of the Saudi crown prince in the later phase of 2018 but the United States led European world kept deliberate stony silence merely because Saudi Arabia is their richest ally.

In the aftermath of the second world war, Cold War has started between the United States of America and Soviet Union. In 1990, Soviet Union collapsed and many countries within its structure became independent countries. In post-cold war era the globe has become unstable and new security architecture is coming up. In this scenario, Asia has become the theatre of global politics.

But despite many pundits' prediction,Asia has not dominated the globe even after the fag end of the second decade of the 21st century.

Integral humanism talks about India's role as spiritual leader of this transformation. He opined that with the blend of economic development, Indian spiritualism could be transforming the entire global system. India has huge cultural power in Asia. fortunately, India does not have historical baggage with countries of Asia. Integral humanism has to showcase Indian view point for the resolution of contemporary Asian and global problems. It was also intended to highlight that all human beings are one irrespective of the demarcation of nation state borders.

In contemporary world, humanity is in crisis. Right from Syria to Afghanistan,thousands of innocent people are dying daily. Uppadhyay opined that India is the harbinger of global brotherhood since ages{ Vashudevkutumbkam} therefore he has stressed that the development of global humanity is integrated. He opined that our development model must cope with this situation. He was talking about middle path of development between capitalism and socialism. International economic order is also in crisis even after in the 21st century.

The gulf between the Southern and Northern countries are increasing. This widening gap has further complicated the possibility of justice based international economic order. Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister was the follower of Wilsonian idealism. He dreamt India as a moral leader of the globe ensuring global justice. 1962 Chinese attack had waken him up. It was merely because in international system no country can play a vital role till it has adequate soft and hard powers. Today after 71 years of our independence, India is in a position to contribute positively to ensure justice at the global level.

We have moral accountability as mandated by Integral humanism to ensure peace and stability at the international level. Although peace and stability has never been the order of the day yet at least we are in a position to work today for it and we must do it. Uppadhayay was an extension of Kautilya in terms of statecraft. Kautilaya stated in explicit manner that war is the last resort of diplomacy. Our cultural moorings are strong enough to ensure global peace and stability. In contemporary world system Yoga and meditation has emerged as resolution of gamut of prevailing diseases. We need to inculcate our other cultural virtues to the global humanity.

Contemporary India is not playing reactive role in the realm of world affairs as Nehrubian India was playing. Today's India is playing proactive role in global affairs and made its imprint. In early 2016 , army installations were attacked by the terrorists in Uri, Kashmir, it was retaliated through surgical strikes in September 2016 only. Likewise, Indian army executed surgical strike in deep Myanmar and eliminated terrorists. In February 2019, CRPF jawans were killed in Pulwama and within days J-e-M biggest training facility at Balokot, Khyber- Paktunwah was devasted by Indian air force.

From the 17th to 20th century, Europe was dominant in the global system. In the 21st century it is opined by gamut of foreign policy pundits that globe will be dominated by Asia. India's basic objective is to ensure multiplicity of Asia. India has been enduring rivalry with China and it is bound to sustain. Multiplicity of Asia will provide peace and stability in Asia but contribute into global peace and stability also.

China has grown phenomenally since the adoption of LPG process in 1978. It is willing to radiate its nearly earned economic aura in the realm of security and willing to dominate Asia as unipolar power. JohnMearsheimer argues that the rising powers aspire to be a regional hegemon. Rising China is all set to dent American hegemony in Asia-Pacific. India has to maximise its benefits out of the situation.

If anybody goes through the Chinese newspapers in the backdrop of Doklam crisis, PM Modi June 2017 Washington visit and U.S President's daughter and adviser , Ivanka Trump November 2017 Hyderabad visit they will find how far Chinese are anxious from new contours of Indian foreign policy.

Long back, Kautilaya had propounded 'Asymmetrical warfare'. India under Modi has explicitly followed this policy through aligning all major powers in proactive manner who have convergences of interests with India due to their national interests to contain China.

Mershimer has also propounded the concept of 'Offensive Realism' and in the post-Cold War era rampaging behaviour of China is vindicated it. The East Asian region is confronting the heat. China has refused to obey

UNCLOS (1982) in the context of East and South China Seas disputes. The United States has, however, reaffirmed the compliance of relevant international laws. In June 2016 only, the United States defense secretary, Ashton Carter warned China over construction of disputed islands within SCS.

India stands for multiplicity in Asia. Fortunately, minus China all major countries of Asia and the globe are also interested for multiplicity in Asia. In the leadership of Narendra Modi, India has taken a structural lead in international affairs. Through this proactive foreign policy, India has not only ensured its national interests but also contributing positively for global peace and stability. It has changed the imprint of India on global table of governance. Today India is sharing all important global platform with global powers and contributing positively for the resolution of contemporary international problems. However, there are inherent challenges for our foreign policy on many fronts, which has yet to be resolved fully.

India has contributed $ 2.5 billion dollar in reconstruction process of Afghanistan. Since 1979 Soviet invasion, 1/3 Afghan population has been killed. Million of people are dying in Africa today due to hunger and preventable diseases.

Indo-Pacific has become extremely significant for Asian and global security. India is geographically located at the strategic centre of the region. India is taking gamut of steps to ensure Indo-Pacific peace and stability. Modi government has taken many steps to garner benefits for our national interests from prevailing security architecture of Asia. It was reflected in August 2017 when after more than two months of standoff, Chinese army was compelled to withdraw from Doklam. It is one of the rarest of the rare incident in contemporary strategic history.

However, we have challenges for energy security to expansion of our soft power. Indian Ocean must remain an ocean of peace and piracy free route for global trade.

Modi led NDA-2 government has therefore taken many comprehensive steps to cope up with the challenges of Indian foreign policy in the context of mandate given by the concept of integral humanism. ❑

(Dayal Singh College, University of Delhi)

वीर शहीद तुझको प्रणाम

❑ उमेश कुमार चौरसिया

तुम तो कह गए थे जल्द लौटकर आऊँगा
आने तो दे लल्ला को सारा गाँव जिमाऊँगा
इस सूने घर के आँगन में लल्ला बिलख के रोएगा
कौन दुलारेगा उसको गोदी में कौन झुलाएगा
चले गए हँसके तुम तो माँ का कर्ज चुकाने को
अब मैं कैसे जी पाऊँगी माँ का फर्ज निभाने को।

मातृभूमि की रक्षा में समर्पण का दे गए पैगाम,
नम आँखों से करता हूँ ए वीर शहीद तुझको प्रणाम।।

आतंकी से मुठभेड़ का फरमान सामने आया था
बदला लेकर ही लौटूंगा पिता को ये बतलाया था
वीरों की शुभ घड़ी यही है घर की चिन्ता मत करना
सीना तान के आगे बढ़ना आतंकियों को नष्ट करना
मत घबराना जीत के आना, है यही वचन अपनाने को
भेजा है तुमको हमने भारत की आन बचाने को

जिनकी प्रेरणा से वीर सपूत कर देते खुद को बलिदान
वृद्ध पिता के देशप्रेम को करता बारम्बार प्रणाम।।

माँ देख तेरा लाडला माटी का कर्ज चुका आया
तिरंगे की रक्षा में भेजा था तिरंगे में लिपटा आया
रोना नहीं माँ मस्तक तेरा गर्व से ऊँचा कर दिया
कहना बच्चों से देश की खातिर प्राण न्योछावर कर दिया
धन्य हो गयी कोख मेरी तुझसा पूत ही पाने को
गोली सीने पे खायी मेरे दूध की लाज बचाने को

भारत माँ की रक्षा में कर देती पुत्रों को बलिदान
वीरप्रसूता माँ के चरणों में करता हूँ झुककर प्रणाम।।

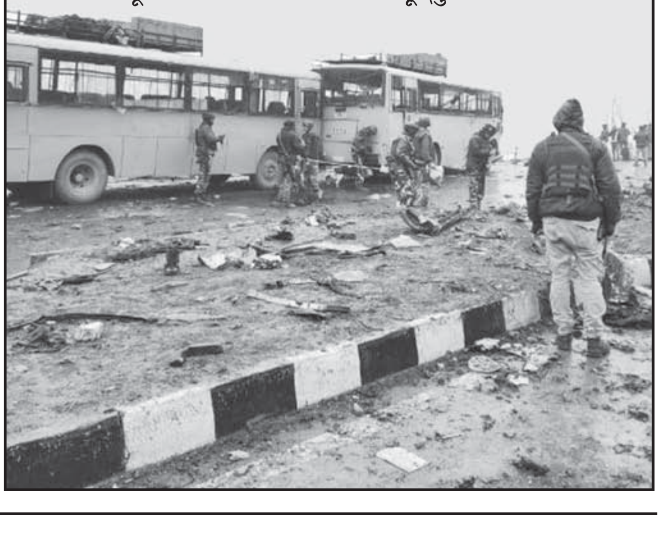

The more people of a Nation are unified and together, the more that Nation shall be strong. Thus, the more intense is Bharatiya Sanskriti at the experiential level of each individual of Bharat, the stronger Bharat shall remain. One need not demonstrate the presence of Bharatiya Sanskriti at personal level with each Nagarik, it can be seen and felt by simply looking at the people of Bharat alone. This becomes the first sheath of security of our Nation, the real security from within itself. We also see from history that whenever this Sanskriti was let latent, there were aggressors who came in to conquer.

National Security and the present Government

❑ **Dr. T. S. Girishkumar**

I come from a family of free dom fighters, and the vast majority of men from the family began their lives by joining one of the three forces of the Nation. In my case, I joined Bharatiya Vayu Sena and served for more than ten years, before coming to teach Philosophy in three Universities. These personal stage settings make questions of Nation, Nationalism and National Security precisely emotional ones at a personal level.

The Nation Concept

Black's Law Dictionary defines Nation as "Distinct form of people, and is more abstract, and more overtly political, than an ethnic group. It is a cultural – political community that has become conscious of its autonomy, unity, and particular interests".Now there should be some criteria for finding commonality for a unity among different people and it is that unity that is going to make the Nation an autonomous one, the strength of which shall directly depend on the intensity of togetherness of the people of a Nation.

While looking around, we see many Nations that fall into the definition of the given lexicon, and here one can scrupulously try to see that unifying aspect of each of them. To generalise, we have Nations that find unity on the basis of a common language used by different people as in the case of some Nations. For some others, the unity comes from geographical specifications. Some others find religion with regional specificities to find such unities. We have Muslim Nations, Christian Nations and the like.

None of these criteria become applicable to Bharat. In fact, the unity of Bharat comes from an entirely different phenomenon, and that is also unique or one of its kind, the unity of Bharat comes from Bharatiya Sanskriti. Neither language, nor geography, nor religion, but a Sanskriti. Bharatiya Sanskriti is a superstructure from Bharatiya knowledge tradition, which is the Vedopanishadic

knowledge tradition. For Bharat, first comes the Vedopanishadic knowledge tradition, and upon and on the basis of this knowledge tradition there evolves a Sanskriti, and the transcendental longing towards the beyond from both the knowledge tradition and Sanskriti manifests into Bharatiya Dharmas. Unlike any other places, the unity of Bharat comes from a Sanskriti running through and through every Bharatiya.

The more people of a Nation are unified and together, the more that Nation shall be strong. Thus, the more intense is Bharatiya Sanskriti at the experiential level of each individual of Bharat, the stronger Bharat shall remain. One need not demonstrate the presence of Bharatiya Sanskriti at personal level with each Nagarik, it can be seen and felt by simply looking at the people of Bharat alone. This becomes the first sheath of security of our Nation, the real security from within itself. We also see from history that whenever this Sanskriti was let latent, there were aggressors who came in to conquer.

The Forces

The Armed Forces must also be strengthened with this Sanskriti apart from modern equipment towards warfare. A strong-Armed Force fortified with such unifying factor as Bharatiya Sanskriti shall also be invincible, with the complete support from the Nation. Forces know what they shall be fighting for, they are well aware of the fact that they are fighting not just for any glory alone, but for a Sanskriti that stood the test of time for tens of thousands of years. Such becomes a very rare fighting spirit within each soldier who goes about defending the Nation.

But, a full support towards the fighting Forces from the ruling people did not happen always in the past, with previous ruling governments. In Chinese battle, I was told, that the situation of our soldiers was miserable. They went to battle with practically no adequate weapons to fight, and did neither have sufficient ammunition or clothing to put up with harsh winter. The political autochthones of that time were too busy in creating self esteem of international personalities. They were actually ignoring both the needs and spirits our forces. Such leaders not only made their names and fame at the cost of our soldiers, but also made a living at the cost of our seasoned fighters, who not only fought glorious battles through history, but also fought exemplary battles in the world war. The battle of Saragarhi fought just by 21Sikhs against 12,000 Pashtun and other Afghan tribes shows that it was fought directly by none other than Guru Gobind Singh ji himself through these twenty-one Sikhs. It was the British Queen who honoured these twenty-one brave hearts by giving them the highest honour in Bharat.

As a matter of fact, in the past, all glories our soldiers made and brought in battle fields were miserably destroyed by our politicians in diplomatic front. Our soldiers were always brave hearts and they always won battles, but our politicians destroyed all sacrifices of the brave hearts for petty smiles of others, to find themselves in the 'good books' of others. In short, the past rule paid hardly any serious attention to National Security and welfare of the Forces, and they were even making fun of our soldiers at times.

Our Present Government

When Narendra Bhai's government assumed office, our soldiers were very hopeful that things will no longer remain the same as the old. It is not only the case that soldiers will be looked after, but it is also the case that our soldiers will be given tooth and nail to fight: instead of heaving sighs of despair at an inability to act and defeat the enemies. And as expected, these did happen, with precision.

Our Air Force had to replace the very old MIGs of Russian origin long ago. Our scientists developed an effective replacement for the aged MIGs, and developed Tejas. Each aircraft used in the Air Force has special role and pur-

poses, so it is not the case that any fighter can be replaced with any other fighter. As on now, MIGs can only be replaced with Tejas, and so we entrusted HAL with the programme of Tejas production. The casual and disinterested approach of the previous governments along with the red tapes in public sectors delayed the Tejas project beyond redemption that at the time of need, we again had to depend on the oldest of fighter with us.

The world knows that how efficient and trained are the pilots of Bharat. Here, when we make a kill, it is not because of the fact that we had a better aircraft, but it is because our men are better equipped with ingenuity and training to make such kills. The enthusiasm and morale of our Army, Navy and the Air Force had ever been very strong. But the previous governments and their doings as well as undoing became a burden to our forces. In one word, our Forces are carrying the luggage as burden from the previous governments that actually makes our progress very slow. These things can't be done in just five years of BJP rule alone, it shall take time much longer than that, however we may try. If the previous government paid enough attentions, we would have been in much better position today.

Luggage from the past rule

Indeed, we are to carry heavy luggage from the past rules. The thieving, nepotism, corruption, espionages behind sweet smiles and honey coated languages, putting near and dear ones in important positions apart from family members holding key positions etc. We do have to continue carrying the vestiges of such luggage for some time, until we shall totally get rid of them. Such things had made our progress much slow, but it is always a relief to understand that the present government made unimaginable progress towards positive Nation building against all heavy odds and oppressions.

As a matter of fact, our enemies were taking us for granted all these years. It had been their past experience that whatever they might do, Bharat shall not be aggressive. They were so confident that they can do anything to Bharat and eventually get away with that. They were so convinced that 'other' countries shall either support them or at least ask Bharat to proceed towards peace talks and different kinds of agreements. Our enemy shall make any agreement with us on paper in front of all others, but they knew as we should also have known, that they will just ignore such papers and do whatever they might wish. They would cry for peace to the rest of the world and keep doing atrocities on Bharat in manifold pattern. They had become masters of such games, and we just imbecilic.

The present government changed everything. The present government gave utmost importance to National Security. The Prime Minister, who considers himself as the 'Pradhan Sevak' of Bharat had to work for eighteen plus hours on a day to day basis with no holiday taken for years. To undo what had been done by the insincere leaders of the past has to be tough: they all were in coalition to destroy Bharat for their personal gains, they were a collective lot together and these were a smaller group of suputras. Things done for many years just cannot be undone in smaller time.

The present government did everything to strengthen National Security. Our Forces were strengthened both by weapons and morale. Forces were given considerable amount of freedom to defend themselves if attacked, they didn't have to ask a political nitwit for 'permission' to save themselves. Having done these, the present government also did something unimaginable, they went around the world and fortified Bharat in diplomatic fronts. Bharat obtained friends all over the world, even among our former dislikers, so that they also couldn't speak against Bharat explicitly. This was an exceptionally thoughtful and intelligent move.We found results of all these works from the present government in the incidents took place recently, the terrorist attack, the retaliation we did and above all, bringing international pressure upon our enemy who had to yield in no time, they became very fearful of Bharat and could not take risks. The point is, that, they realised that offending Bharat is going to be very risky.

National security had indeed become formidable as well as very powerful through the functioning of the present government. This is absolutely clear to one and all. There is dedication and hard work from many Swayam Sevaks behind all these, who do not care for getting known or acknowledged. For a greater cause, it is customary for us to make personal sacrifices, and this had been the Sanskriti of Sangh.❑

(Ex. Professor of Philosophy, The Maharaja Sayajirao University of Baroda)

स्वामी विवेकानंद दर्शन – आज की प्रासंगिकता

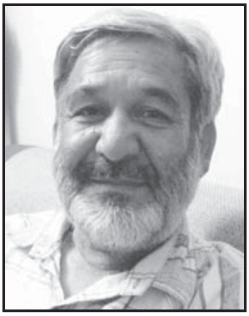

❑ डॉ. विवेक कुमार

स्वामी विवेकानंद के एक पाश्चात्य अनुरागी ने कहा था, 'वे आय में कम परन्तु ज्ञान में असीम थे'। यदि इस भावुकतापूर्ण उक्ति को स्वीकार करते हैं तो यह स्वामी विवेकानंद के दर्शन की आज के युग में प्रासंगिकता को प्रस्तुत करती है। उनकी अल्प आयु जो चालीस वर्ष से भी कम, पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में ही उनका देहान्त हो गया। तब से दो विश्व युद्ध हो चुके हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विस्मयकारी विकास हो चुका है। परिणाम स्वरूप दुनिया बदल चुकी है। और साथ ही मनुष्य के दृष्टिकोण तथा जीवन शैली में भी परिवर्तन आ चुका है और यह भविष्यवाणी, 'अगले पचास वर्षों के भीतर यह देश अत्यन्त अकल्पनीय परिस्थितियों में स्वाधीन हो जाएगा और सारे विश्व के समान ही भारत भी ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा है जो उनके समय में अज्ञात थी और इसके बावजूद यह कहा जा सकता है की स्वामी विवेकानंद आज भी प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे सम्मुख आज कौन सी समस्याएँ खड़ी हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमें किस प्रकार से उनका सामना करना है। उनका कहना था कि यदि सही प्रकार के मनुष्य उपलब्ध हों, तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। वे कहा करते थे, 'मनुष्य निर्माण ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। सचमुच ही किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जनता कितनी अच्छी, बुद्धिमान तथा सुयोग्य है। कोई भी राष्ट्र एक या दो महान व्यक्तियों को पैदा कर सकता है परन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह देश महान होगा। यह उस देश की क्षमता को सिद्ध कर सकता है परन्तु जब तक किसी देश के सामान्य नर-नारी का जीवन स्तर उच्च नहीं हो जाता, तब तक उस देश को महान नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी कहा करते थे कि एक बुद्ध या एक ईसा ने किसी भी देश के भाग्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि आम जनता ने यह निर्धारित किया कि उस देश का भविष्य क्या होगा।

विश्वविद्यालय की उपाधियों के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करने वाले, आम लोगों की समस्याओं से पूर्णतः अनभिज्ञ कुछ मुट्ठी भर तथा कथित बुद्धिजीवी ही राष्ट्र के भाग्य का निर्णय करते रहे जबकि जनता मूक दृष्टा बनी रही। आम जनता की क्या हालत है, कैसे ऊँची जाति तथा वर्ग द्वारा सताये जा रहे हैं और शोषित हो रहे हैं

भारत ने अनेक उच्च विचारों को जन्म दिया है, पर उन्हें शायद ही कभी कार्यरूप में परिणत किया गया है। वे इस कमी को भारत की सारी सामाजिक बुराइयों का कारण मानते थे। इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने जाति प्रथा की ओर इंगित किया। श्रम-विभाजन के सिद्धांत पर आधारित यह एक आदर्श संस्था थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम क्षमता अनुसार विकास का अवसर देना ही इसका उद्देश्य था, परन्तु जब उसमें ऊँच-नीच का भाव आ गया और जन्म पर आधारित हो गया, तब यह पूरी तरह से निरर्थक तथा हानिकारक हो गई। स्वामी विवेकानंद ने जाति व्यवस्था की जितनी कठोर भर्त्सना की है, उतने शायद ही किसी ने की होगी।

और उनकी निरक्षरता तथा निर्धनता आदि बातों के विषय में उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं थी। इसके बावजूद वे सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में बोलने का दावा करते थे। ये ऐसे रीढ़हीन लोग थे, जिनकी राष्ट्र या आम जनता के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी जिनमें इतना भी साहस नहीं था कि स्वयं का या राष्ट्र का अपमान करने वालों का सामना कर पाते। स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों पर चिढ़कर उन्हें चलते-फिरते शव कहा करते, जो मरने के बाद भी अपने विगत गौरव के चिह्न के रूप में लोगों को प्रभावित करने की चेष्ठा में लगे रहते हैं। इस पर ध्यान करने मात्र से ही विगत लगभग आठ सौ वर्षों की भारत की परतंत्रता का एक कुरूप चित्र भी घूम जाता है।

भारत की स्वाधीनता के 70 वर्षों के पश्चात क्या अब भी इस परिदृश्य में कोई परिवर्तन आया है? अब भी नगरीय मध्यम वर्ग का ही राष्ट्र पर दबदबा है। देश में जो भी हो रहा है, उसमें आम जनता को शायद ही कुछ कहने का अधिकार है। यदि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके सम्मिलित होने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है तथापि न तो कोई योजना बनाने में और न ही कोई उनके क्रियान्वयन में उनकी कोई भूमिका होती है अत: राष्ट्र की प्रगति में जो विलंब हो रहा है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। नवीन भारत की कल्पना में स्वामी विवेकानंद ने शूद्रों (अर्थात् श्रमजीवियों) को सर्वोपरि महत्त्व दिया। उन्होंने कहा कि वे एक समाजवादी हैं, इसीलिए नहीं कि समाजवाद एक आदर्श व्यवस्था है, बल्कि इसीलिए कि खाली पेट से थोड़ा कुछ भी बेहतर है। इतिहास की अपनी समझ से उन्हें विश्वास हो गया था की देर सवेर क्रान्ति का आना अवश्यम्भावी है। उन्होंने दो देशों का नाम लिया जहाँ यह सबसे पहले आने वाली थी रूस और चीन। यह घटना 1990 वाले दशक में हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कैसे इस बात का अनुमान हो गया था। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि उन्होंने इसके लिए क्रान्ति के स्थान पर विकास को बेहतर माना। क्या उन्हें मालूम था कि क्रान्ति के लिए देश को क्या कीमत चुकानी पढ़ती है? यह स्पष्ट है कि वे भारत में हिंसक परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे ऊपर वालों को गिराना नहीं, अपितु नीचे वालों को उठाना चाहते हैं। अर्थात् वे चाहते थे कि श्रमजीवियों को इतने अधिक अवसर प्रदान किये जाएँ कि वे भी बुद्धिजीवियों के स्तर तक पहुँच जाएँ। श्रमजीवियों को ऊपर उठाने के लिए बुद्धिजीवियों को नीचे उतारने की आवश्यकता नहीं, श्रमजीवियों की एक लम्बे काल से उपेक्षा हुई और उन्हें शिक्षित होने का अवसर नहीं मिला। अब उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे यथाशीघ्र अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों पर विजय पा सकें व लोग शिक्षा पाने के लिए आएँ, इसके स्थान पर स्वामी जी चाहते थे कि शिक्षा को ही उनके पास पहुँचाया जाए। सही आकलन करते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा को नि:शुल्क बनाने मात्र से काम नहीं होगा, इसके अतिरिक्त भी प्रोत्साहन देना होगा। शिक्षा को उनके द्वार तक पहुँचाना होगा और यह शिक्षा न केवल मुफ्त होगी बल्कि एक प्रबुद्ध कुल के बच्चे के लिए एक शिक्षक की तुलना में एक श्रमजीवी के बच्चे के लिए पाँच शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। जब मैसूर के महाराजा अपने राज्य में मुफ्त शिक्षा की योजना बना रहे थे, तब स्वामी जी ने उन्हें यही सुझाव दिया था। स्वामी जी ने शिक्षा पर काफी बल दिया वे भारत की सभी बीमारियों के लिए इसी को सर्वरोगहर औषधि मानते थे। परन्तु शिक्षा किस प्रकार की होगी? निश्चित रूप से केवल पुस्तकें पढ़ना, परीक्षाएँ पास करना तथा उपाधियाँ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होगी। उनकी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ केवल जानकारियाँ देना ही नहीं बल्कि कुछ और भी सार्थक वस्तु था। शिक्षा का अर्थ है विचारों को आत्मसात करना, इसे मनुष्य का निर्माण करने वाली जीवन प्रदान करने वाली तथा चरित्र का निर्माण करने वाली होना चाहिए। इसमें कार्य कुशलता भी होनी चाहिए तथा यह उत्पादनशील भी हो। उन्हें इस बात का खेद था कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को अपने पाँवों पर खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाती और न ही उसमें स्वाभिमान या आत्मविश्वास जगा पाती है। वे भारत के लिए ऐसी शिक्षा चाहते थे, जिसमें उसके अपने आदर्शवाद के साथ पाश्चात्य कुशलता का सामंजस्य हो।

भारत ने अनेक उच्च विचारों को जन्म दिया है, पर उन्हें शायद ही कभी कार्यरूप में परिणत किया गया है। वे इस कमी को भारत की सारी सामाजिक बुराइयों का कारण मानते थे। इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने जाति प्रथा की ओर इंगित किया। श्रम-विभाजन के सिद्धांत पर आधारित यह एक आदर्श संस्था थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम क्षमता अनुसार विकास का अवसर देना ही इसका उद्देश्य था, परन्तु जब उसमें ऊँच-नीच का भाव आ गया और जन्म पर आधारित हो गया, तब यह पूरी तरह से निरर्थक तथा हानिकारक हो गई। स्वामी विवेकानंद ने जाति व्यवस्था की जितनी कठोर भर्त्सना की है, उतने शायद ही किसी ने की होगी। परन्तु इसका समाधान क्या है? स्वामी जी पुन: कहते हैं। अच्छी शिक्षा मिलने पर अभी भी जा लोग पिछड़े हुए हैं, वो स्वयं ही उन्नत हो जाएँगे। परन्तु यह परिवर्तन सहज तथा शान्ति पूर्ण हो।

परिवर्तन सहज तथा शान्तिपूर्ण इसलिए भी आवश्यक है चूंकि क्रान्ति द्वारा हुए परिवर्तन प्रतिक्रान्ति द्वारा प्रतिक्रियात्मक ढँग से पुन: परिवर्तित कर दिये गये। इतिहास उन सब बातों का गवाह है और हमारा

इतिहास इस बात का अधिक साक्षी है कि हमारा भारत सब प्रकार के विदेशी संघर्षों में भी एक राष्ट्र इसलिए बना रहा चूंकि नवीन विचारों को आत्मसात् करने की, नए दबावों के साथ समायोजन करने की, नवीन परिस्थितयों के अनुसार स्वयं को ढालने की, इस क्षमता के कारण ही अपने पूर्ण विनाश को टालने में समर्थ हो पाए हैं। अपने मूलभूत भावों को सुरक्षित रखते हुए सम्भवत: एक नए रूप में प्रस्तुत कर पाए हैं।

स्वामी जी को जैसे श्रमिक वर्ग के उत्थान का पूर्वानुमान हुआ, वैसे ही उन्हें आशंका थी कि इसके साथ-साथ सांस्कृतिक स्तर में गिरावट आएगी। बाद में जिन देशों में क्रान्तियाँ हुई उनके प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि स्वामी जी ने ठीक ही कहा था। भारत में भी कहीं ऐसा न हो, इसलिए स्वामी जी चाहते थे कि जिस समय श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए जमीन तैयार हो रही है, उसी समय आम जनता को भारत की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार शिक्षित करने पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया, 'देश में अध्यात्मिक भावों की बाढ़ ला दो' अर्थात् सत्य, न्याय, प्रेम, शान्ति, समन्वय, आदि के वे ही आदर्श। जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इन परम्पराओं का संरक्षण उनकी पहली प्राथमिकता थी उन्हीं में भारत की शक्ति निहित है। भारत में हजारों वर्षों से जिन परम्पराओं का विकास तथा संरक्षण किया है, वैसी परम्पराएँ दुनिया के किसी देश में नहीं है।

स्वामी विवेकानंद का चित्त भारत की निर्धनता से व्यथित था। भारत के ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करते समय उन्होंने लोगों के कष्ट तथा पीड़ाएँ देखी। परन्तु साथ ही लोगों के गुणों को देखकर अभिभूत भी हुए थे। वे अंग्रेज लोगों से केवल इसलिए घृणा करते थे कि उन लोगों ने योजनावद्ध रूप से राष्ट्र के धन का शोषण कर लिया था। वे तथाकथित कुलीन भारतवासियों की स्वार्थपरता तथा अपने देशवासियों की हालत के प्रति उदासीनता के कारण, उनसे भी कम घृणा नहीं करते थे। परन्तु निर्धनता की समस्या को कैसे हल किया जाए? उन्हें लगा कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में ही इस समस्या का समाधान निहित है। भारत को अपने देश में एक औद्योगिक क्रान्ति लाने के लिए पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीकी का व्यापक रूप से प्रयोग करना होगा। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं में अनुभव किया था कि जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में विज्ञान तथा तकनीकी की सहायता से निर्धनता पर विजय प्राप्त कर ली है। एशिया में जापान ने भी वैसे ही कर दिखाया था वे चाहते थे कि निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष में भारत पश्चिम के पदचिह्नों का अनुसरण करे, परन्तु अन्य किसी भी क्षेत्र में वे पश्चिम की नकल न करें।

स्वामी विवेकानंद का कोई भी उपदेश पुराना नहीं पड़ा है। उन्होंने आधुनिक विचारों का प्रचार किया, परन्तु वे एक दूरदृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके लिए न तो केवल तात्कालिक विश्व महत्त्वपूर्ण था और न ही आने वाला सुदूर भविष्य। उनकी मनुष्य से सम्बन्धित हर विषय में न केवल धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, राजनीति में भी रुचि थी। इन कुछ विषयों पर भी उनके विचार युगान्तरकारी थे। वर्तमान में भारत के सामने कई समस्याएँ हैं- निर्धनता, निरक्षरता, जातिवाद तथा एकता का अभाव। परन्तु यह कोई नई समस्याएँ नहीं हैं। इनका स्वामी जी के समय में भी अस्तित्व था। उन्होंने इस पर काफी विचार किया और उनके समाधान के विषय में अपने विचार व्यक्त किए जो सदा के लिए उपयोगी हैं। वे किसी के द्वारा पूर्व निर्दिष्ट समाधान के नहीं बल्कि ऐसे समाधानों के पक्षधर थे, जो इतिहास तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निकाले गए थे। उन्हें दूसरे देशों का अनुकरण भी पसंद नहीं था। प्रत्येक देश को अपने ढँग से, अपनी प्रतिमा की सहायता से, अपनी समस्याओं से निपटना होगा। उन्होंने लोगों की इच्छाशक्ति, सही दृष्टिकोण तथा चरित्र पर बल दिया।

स्वामी विवेकानंद ने तीन भविष्यवाणियाँ की थी जिसमें दो सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। इनमें से पहली तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी भारत की स्वतंत्रता के विषय में। 1890 के दशक में उन्होंने कहा था 'भारत अकल्पनीय परिस्थितियों के बीच आगामी पचास वर्षों में ही स्वाधीन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। उनकी दूसरी महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी रूस में पहली बार श्रमिक क्रान्ति होगी, जिसके होने या हो सकने के बारे में किसी को कल्पना तक न थी। श्रमिक क्रान्ति के प्रमुख प्रवक्ता मार्क्स का कहना था कि यह वहीं होगा, जहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन काफी मजबूत होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जर्मनी में होगा। तथापि मार्क्स के कथन के विपरित, पहली श्रमिक क्रान्ति एक ऐसे देश रूस में हुई, जो मूलत: कृषि प्रधान था और जहाँ किसी संगठित श्रमिक आंदोलन का अभाव था। तो फिर ये कैसे घटित हुआ। स्वामी विवेकानंद ने किस आधार पर ये सही भविष्यवाणी की? ये बता पाना कठिन है। ये सर्वविदित है कि वे इतिहास के अच्छे अध्येता थे और ऐतिहासिक शक्तियों के विषय में उनकी अंतर्दृष्टि गहन तथा ठोस थी। विवेकानंद ने एक और भविष्यवाणी की थी जिसका सत्य होना अभी शेष है। उन्होंने कहा था कि भारत एक बार फिर समृद्धि तथा शक्ति की महान ऊँचाइयों तक उठेगा और अपने समस्त प्राचीन गौरव को पीछे छोड़ जाएगा। भारत की वर्तमान अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि भारत उस ओर चल पड़ा है परन्तु इस भविष्यवाणी को पूर्णरूप से सत्य सिद्ध होने के लिए समय लगेगा। स्वामी जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से यह स्पष्ट जान लिया था कि यदि भारत ने

राजनीति में पाश्चात्य तरीकों को अपनाया, तो ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण होगा और उन्होंने भारत को ऐसे अनुकरण के विषय में सावधान कर दिया था। पश्चिमी राष्ट्र स्वभाव से ही एकांगी होने के कारण असहिष्णु हैं। दूसरी ओर भारत सदा से ही नए-नए प्रजातीय समूहों और उनके साथ ही नए विचारों तथा जीवन शैलियों का स्वागत करता हुआ उन्हें आत्मसात करके अपनाता रहा है। यहाँ आए यूनानियों, सिंधियों, मंगोलों तथा ईसाईयों का अब अलग अस्तित्व कहाँ रह गया है? वे सब भारतीयता की पहचान में समाहित हो गए है। आज भारत अनेक प्रजातियों, संस्कृतियों तथा परम्पराओं की एक सुंदर कलाकृति बन गया है। जिसका प्रत्येक तत्त्व आपसी प्रेम तथा सद्भाव से जुड़ा हुआ है। भारत वर्ष सदा से ही एक बहु-प्रजातीय तथा बहुमतीय राष्ट्र रहा है परन्तु समय की गति के साथ भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में अनेकता-एकता तथा एकरूपता में परिवर्तित होती गई इसलिए अनेक प्रकार के संकट विदेशी आक्रन्ताओं के क्रूर अत्याचार भी भारतीय संस्कृति की मजबूत जड़ को हिला नहीं पाए। भारतीय संस्कृति के लचीले चरित्र के कारण सब आत्मसात होते गए। स्वामी जी का कहना था कि विविधता स्वाभाविक है एकरूपता कृत्रिम है। प्रत्येक को अपने तरीके से विकास करने का अधिकार है अन्यथा वह विकसित ही नहीं हो पाएगा। भारत सदा से ही इस सिद्धांत में विश्वास करता रहा है और इसी के अनुसार जीता आया है। एकता, एक दूसरे के सिद्धांतों का सम्मान करने में और आदर्शों की समानता में है। स्वामी जी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। प्रत्येक समूह दूसरों के लिए त्याग करता है और इस प्रकार राष्ट्र की सेवा करता है। इसी पद्धति से विविधता ने भारतीय एकता को सदृढ़ करने में सहायता की है। भारत में राजनीति का उद्देश्य शासन नहीं बल्कि सेवा होना चाहिए। अपने देश के लिए उन्होंने जो योजना बनाई उसमें पहली प्राथमिकता के रूप में उन्होंने जिस समस्या को रेखांकित किया, वो थी निर्धनता का उन्मूलन। वे जानते थे कि भारत को एक औद्योगिक क्रान्ति की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक थी कि सम्पूर्ण देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा का निरंतर विस्तार हो। किसी काल में भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में काफी आगे रहा था, परन्तु पिछली कुछ शताब्दियों से यह जड़मत हो गया और अन्य देशों की तुलना में हर दृष्टि से पिछड़ गया है। स्वामी जी ने जमशेद जी टाटा को एक ऐसा संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसमें उन्नत कोटि का शोध-कार्य किया जाए। दोनों एक ही जलयान पर जापान से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। टाटा जापान के औद्योगिक उत्पादों का आयात करने की चेष्टा कर रहे थे परन्तु स्वामी जी चाहते थे की टाटा न केवल भारत के औद्योगिकीकरण में एक अग्रदूत का कार्य करें अपितु एक शोध केंद्र भी प्रारंभ करें ताकि नवीनतम तकनीकी का सत्तप्रवाह औद्योगिक विस्तार को गति प्रदान करता रहे। टाटा ने स्वामी जी की सलाह मानी उन्होंने एक शोध केंद्र की स्थापना की जो की सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है।

स्वामी विवेकानंद जानते थे कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसके आकार या धन पर नहीं, अपितु उसके चरित्र पर निर्भर करती है। उन्हें आशा थी कि भारत इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि किस प्रकार विज्ञान तथा धर्म का सम्मिलन हो सकता है जिसमें विज्ञान मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और धर्म उसकी नैतिक तथा आध्यात्मिक जरूरतों की। ये आवश्यक नहीं कि एक धनवान व्यक्ति नैतिक भी हो। स्वामी जी ने कहा 'मनुष्य निर्माण मेरा उद्देश्य है उन्हें बोध हुआ कि किसी भी समाज में यदि उसके मानवीय घटक भले तथा सबल नहीं हैं तो वह टिक नहीं सकता। वे पश्चिमी दुनिया की कर्मठता, संगठन क्षमता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से प्रभावित थे परन्तु उन्हें इन लोगों की इन्द्रिय-सुखों के प्रति घोर आसक्ति तथा नैतिक विकास के विषय में उदासीनता भी देखी। वे जानते थे कि किसी समाज में जब तक भौतिक समृद्धि तथा नैतिक विकास के बीच सही संतुलन नहीं होता, तब तक व्यक्ति को शान्ति नहीं मिल सकती और उस समाज की सर्वांगीण उन्नति भी नहीं हो सकती।

प्रत्येक वर्ष भारत निर्धनता के विरुद्ध अपनी लड़ाई में विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में उसे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। भारत एक हरित क्रान्ति से हो कर गुजर चुका है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज वह विश्व के सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी वाले देशों के बीच स्थान बना चुका है। इंजीनियरी की तकनीक में भी आत्मनिर्भर है और अनेक विकासशील देशों की सहायता करने में भी सक्षम है। परंतु खेद की बात है कि अब भी देश के कुछ अंचलों में निर्धनता फैली हुई है। सामाजिक अन्याय भी अभी पूरी तरह से दूर नहीं हो सका है। अशिक्षा भी एक समस्या बनी हुई है। वे जानते थे कि भारत को साहस तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता है। समस्याएँ भारत की हैं तो स्वयं भारत को ही उनका समाधान ढूँढ़ निकालना होगा। उसे न तो दूसरों का अनुकरण करना है और न ही दूसरों पर निर्भर रहना है। उसे अपने स्वयं के प्रयासों से अपने वर्तमान तथा भविष्य में भी आने वाली समस्याओं का समाधान करना होगा। ❑

(प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, स्वामी विवेकानन्द चैयर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू)

गाँधी का रामराज्य और आज की राजनीति

❑ प्रो. सतीश कुमार

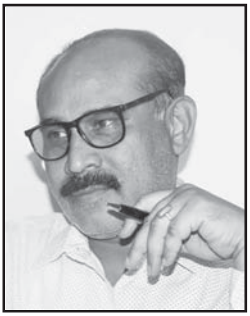

आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने आपको भूलने की है। गाँधी जी ने कहा था, हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अंग्रेजों की तरह नहीं बनाना चाहते, न ही पूर्व सोवियत संघ की तरह धर्म विरोधी बनाना चाहते हैं और न ही इटली और जर्मनी की तरह तानाशाही व्यवस्था की नींव रखना चाहते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ के लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनेगी, जिसमें विद्वेष नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा की बात नहीं होगी। यही कारण है कि आजादी के 2 महीने पूर्व एक इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए गाँधी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में राम राज्य की कल्पना भी बेमानी होगी, सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो चुका है, भारत दो भागों में बँट चुका है। भारत के भीतर कई खंड बन चुके हैं।

गाँधी के राम राज्य की अवधारणा का मूल्यांकन आज भी प्रासंगिक है। गाँधी ने 19 सितम्बर, 1929 में यंग इंडिया में लिखते हुए यह कहा था कि 'राम राज्य का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं है, यह ईश्वर का साम्राज्य होगा, जिसमें राम और रहीम अलग अलग नहीं होंगे, सब एक छतरी के नीचे होंगे। जहाँ पर सत्य की जीत होगी और स्वार्थ गौण होगा। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राजनीति का अर्थ लूट नहीं बल्कि सेवा भावना होगी।' गाँधी के द्वारा दिए गए सिद्धांत को तकरीबन 90 साल गुजर गए, देश 2019 के लोक सभा चुनाव के महासमर में है। देश की राजनीति कितनी बदल गयी है, जिस बात की कल्पना गाँधी ने की थी ठीक उसके विपरीत राजनीतिक समीकरण बनते चले गए। उनके विभिन्न पहलुओं की जाँच-पड़ताल करें तो हैरतअंगेज तस्वीर सामने दिखाई देती है। गाँधी के नाम पर अगर किसी दल ने सबसे ज्यादा रोटी सेंकने की कोशिश की है तो वह कांग्रेस पार्टी है। केवल शब्दों में गाँधी की पूजा की जाती रही, गाँधी जयंती पर फूल मालाएँ चढ़ाई जाती रहीं लेकिन उनके विचारों को जमीन पर नहीं उतारा गया।

पहली बात यह, गाँधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी विचारधारा की पार्टी नहीं है, यह एक दल नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का समग्र संघर्ष था, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर अब यह जिन्दा रहा तो देश कमजोर होगा, कांग्रेस सत्ता पसंद नेताओं ने गाँधी की बात को नहीं माना, कांग्रेस पार्टी सत्ता के गलियारे में बनी रही। उसमें वे सारे तत्त्व आ गये जिनका देश की बुनियाद और गाँधी की सोच से कोई लेना देना नहीं था।

दूसरी अवमानना कांग्रेस के नेताओं ने देश को धर्म विहीन बनाने में की। गाँधी का रामराज्य एक राजनीतिक विचार, धर्म की बुनियाद से निकला था, लेकिन यूरोपियन प्रभाव से प्रभावित हो देश को धर्म तटस्थ बनाने की कोशिश की गयी, ऐसी सोच जो धर्म को जहर मानती थी, वही चाबी भारत की बनावट में लगायी जाने लगी। इसी राजनीतिक माहौल ने रामजन्म भूमि को भी राजनीतिक विवाद का अखाड़ा बना दिया, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। राम जन्म भूमि का विवाद कोर्ट में अटका हुआ है।

तीसरा परिवर्तन वोट बैंक की राजनीति से हुआ। गाँधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन और

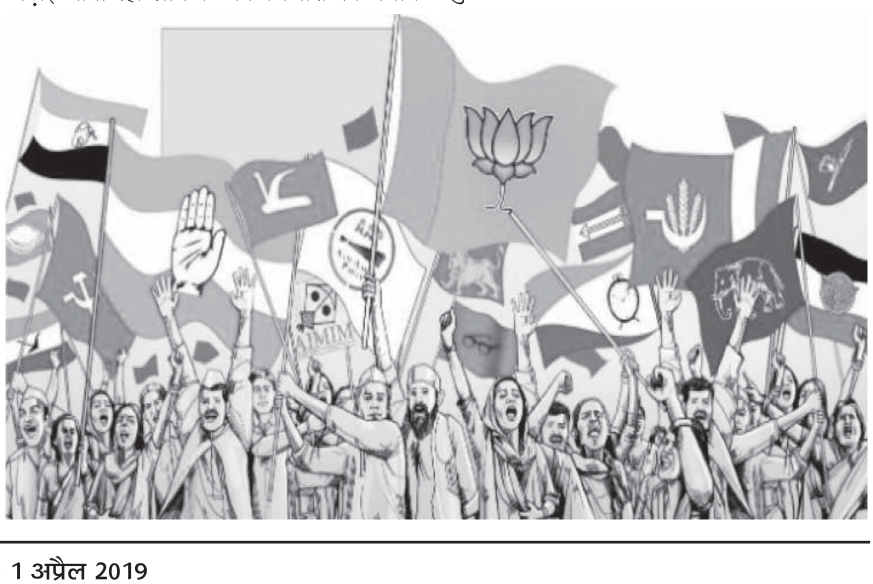

बाद में मैक्डोनाल्ड प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया था कि हिन्दू समुदाय को दलित और गैर दलित में बाँटना नहीं चाहते थे, गाँधी को मालूम था इससे देश की आन्तरिक बुनावट कमजोर होगी, लेकिन आजादी के बाद वोट बैंक कि राजनीति शुरू हो गयी। मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक जैसे कई खंड बन गए जो जाति के आधार पर थे। 1980 के दशक में मंडल आयोग के विरुद्ध आंदोलन ने जाति के नाम पर हिंसक रूप लिया, कई लोग मरे। जाति के नाम पर राजनीतिक दुकानें खोल ली गयीं। आज भी 2019 में चुनाव के पीछे अगर सबसे सशक्त कोई शक्ति है तो वह जातीय समीकरण है, इस पीड़ा का हर बड़ी-छोटी राजनीतिक पार्टियाँ शिकार है।

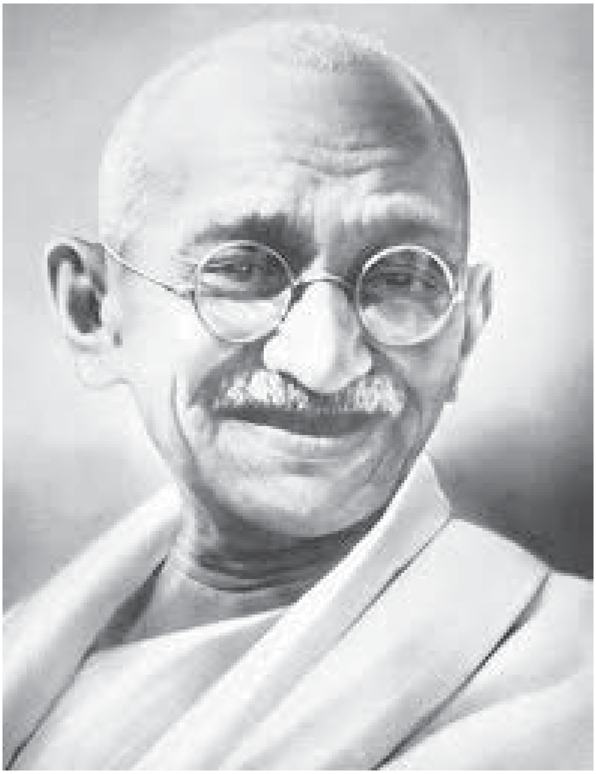

चौथा, राजनीति पूरी तरह से परिवारवाद के चंगुल में फँस गई। कहने के लिए लोकतंत्र रहा, लेकिन खुद का घर घोर अलोकतांत्रिक बन गया, इसकी शुरूआत कांग्रेस के द्वारा की गयी जो समय के साथ अन्य दलों की भी बीमारी बन गयी। बी.जे.पी. को छोड़कर शेष दलों के उत्तराधिकारी राजतन्त्र की तरह पुश्तैनी चलते रहे। क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद का दंश ज्यादा सक्रिय रहा। 2019 के चुनाव भी उसी तर्ज पर लड़ा जा रहा है।

गाँधी जी ने रामराज्य की व्याख्या अमृत बाजार पत्रिका में करते हुए लिखा था कि -

न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्।
न व्याधिजं भयन् वापि रामे राज्यं प्रशासति ।।
निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कन् चिदस्पृशत्।
न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते।।
सर्वं मुदितमेवासीत्सर्वो धर्मपरोअभवत्।
राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिन्सन्परस्परम्।।
आसन्वर्षसहस्त्राणि तथा पुत्रसहस्त्रिणः।
निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति।।
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः।
रामभूतं जगाभूद्रामे राज्यं प्रशासति।।

ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ न केवल गरीब और कमजोर तबका सारी सुविधाओं के साथ रहता हो, बल्कि पेड़ पौधे भी हरे-भरे हों, लेकिन हुआ इसके विपरीत- गरीब निरंतर गरीब होते गए, राजनीतिक शक्ति उद्योगपतियों के हाथों में खिसकती चली गयी। जंगल काटे जाने लगे, पर्यावरण दूषित होने लगा। पुनः पश्चिमी सोच के तर्ज पर सस्टेनेबल विकास की पढ़ाई की जाने लगी।

आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने आपको भूलने की है। गाँधी जी ने कहा था, हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को अंग्रेजों की तरह नहीं बनाना चाहते, न ही पूर्व सोवियत संघ की तरह धर्म विरोधी बनाना चाहते हैं और न ही इटली और जर्मनी की तरह तानाशाही व्यवस्था की नींव रखना चाहते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ के लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनेगी, जिसमें विद्वेष नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा की बात नहीं होगी। यही कारण है कि आजादी के 2 महीने पूर्व एक इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए गाँधी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में राम राज्य की कल्पना भी बेमानी होगी, सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो चुका है, भारत दो भागों में बँट चुका है। भारत के भीतर कई खंड बन चुके हैं। गाँधी की युक्ति और दुःख आज की राजनीति को देखने से पता चलता है। देश को विदेशी सोच से विरूपित कर दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा के 5 वर्षों के कार्यकाल में एक खोये हुए भारत की सोच को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गयी है। अपने धर्म ग्रंथों और विचारकों को अपनी भाषा में समझाने का अभ्यास किया गया है। वर्षों की लगी जंग 5 वर्षों के कार्यकाल में खत्म होना संभव नहीं था। आज जरूरत इस बात की है कि देश की पहचान को स्थापित करने के लिए की गयी कोशिशों वाली राजनीतिक व्यवस्था को हर संभव प्रयास करके बनाये रखा जाये। गाँधी पर माल्यार्पण नहीं बल्कि उनके विचारों को नीतियों से जोड़कर देश की जनता को सक्षम बनाया जाये। स्वच्छ भारत मिशन और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अन्य प्रयासों की जरूरत है। यह देश जिसकी संस्कृति इतनी विविध और सम्पन्न हो, उसे हासिये पर ले जाने वाली राजनीतिक व्यवस्था की पहचान की जानी चाहिए। ❑

(राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर)

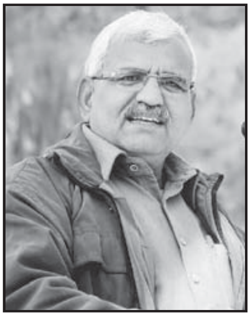

पृथ्वी दिवस की सर्वप्रथम कल्पना वैदिक ऋषि ने की है। ग्रंथों में भारत भूमि को कर्म भूमि कहा है जहाँ स्वर्ग और अपवर्ग की साधना की जा सकती है। यह भूमि इसीलिए स्वर्ग से महान् है क्योंकि यहाँ निःश्रेयस और समुत्कर्ष दोनों की साधना की जा सकती है। जबकि स्वर्ग में केवल कर्म भोग है, कर्मक्षय होने पर वहाँ से हटना पड़ता है। स्वर्ग कल्पना भी हो सकती है पर धरा तो वास्तविकता है। यहीं से विचार प्रारम्भ होता है। इकबाल ने गाया है – 'हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा।' एक यह भाव है- बुलबुल भाव। गुलिस्तां है, और वृक्षों पर बहार है तब तक बुलबुल वहाँ है। जब पतझड़ आएगा तब? वह उड़ जाएगी। दूसरा एक मत्स्य भाव है। मछली अपने आलय, जल से पृथक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करती। प्राण त्याग देगी पर पानी नहीं।

'विश्व शांति' और 'विश्व शक्ति' की दो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संपूर्ण विश्व को सम्यक बंधु-भाव से देखने वाली भारतीय दृष्टि विश्व-समाज में अनूठी है। मातृभूमि ही सर्वथा पवित्र कर्मभूमि, ज्ञानभूमि और भक्तिभूमि है। जन्मभूमि के प्रति निरापद भक्ति से आशय अपने कर्तव्यों को निस्वार्थभाव से पूर्ण करने से है तथा भारतभूमि की सुरक्षा तथा संरक्षा की समानरूप से स्वीकृति ही उसके प्रति समादर भाव है। भौतिक वैभव की उपलब्धि की वर्तमान सोच 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की भारतीय अवधारणा से एकदम विपरीत है जिसमें पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने का उल्लेख है।

*मातृभूमि के प्रति समर्पण की यह महान् प्रेरणा हमें सदियों से 'श्रीराम' से मिलती रही है, वे हमारे लिए पौरुष, करुणा, धैर्य तथा विनम्रता के प्रतीक हैं। इसी प्रेरणा की अभिव्यक्ति मानस मर्मज्ञ श्री हनुमान सिंह राठौड़ रचित '**कुटुम्ब प्रबोधन**' के **अध्याय -13** में '**मातृभूमि भारत**' शीर्षक से हुई है। - सम्पादक।*

मातृभूमि भारत

''**माँ,** सुना है रामायण में 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' ऐसा श्री राम का कथन वर्णित है। माँ और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया है। रामचरित मानस में भी इस प्रकार का वर्णन है क्या?'' नेहा ने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा।

''पर मेरे मन में तो यह आता है कि 'सर्वे भूमि गोपाल की' कहीं भी रहो, क्या अंतर पड़ता है? जन्म भूमि के प्रति इस प्रकार की भक्ति संकुचितता नहीं है क्या? एक तरफ तो बात करते हैं 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'स्वदेशो भुवनत्रयम्' की और व्यवहार है जन्म भूमि के प्रति एकान्तिक निष्ठा उत्पन्न करने के प्रयत्नों की!'' विक्की ने अपना संशय उछाल दिया।

''वैश्वीकरण के काल में जब विश्व-ग्राम, अखिल भुवन एक नीड़म् की कल्पना साकार हो रही है तब इस संकुचित भक्ति से क्या लाभ? अब तो विश्व-भूमि की भक्ति तक परास बढ़ना चाहिए।'' अभिनंदन ने अपना लेपटॉप बंद करते हुए कहा।

माँ सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। सब माँ के मुँह की ओर देखने लगे तब वह बोलीं-

''पहले नेहा की जिज्ञासा से प्रारम्भ करते हैं। अपने ग्रंथों में भूमि के प्रति पूज्य भाव को सर्वत्र स्थापित किया गया है। वेद में एक पूरा सूक्त ही पृथिवी को समर्पित है। पृथ्वी दिवस की सर्वप्रथम कल्पना वैदिक ऋषि ने की है। ग्रंथों में भारत भूमि को कर्म भूमि कहा है जहाँ स्वर्ग और अपवर्ग की साधना की जा सकती है। यह भूमि इसीलिए स्वर्ग से महान् है क्योंकि यहाँ निःश्रेयस और समुत्कर्ष दोनों की साधना की जा सकती है। जबकि स्वर्ग में केवल कर्म भोग है, कर्मक्षय होने पर वहाँ से हटना पड़ता है। स्वर्ग कल्पना भी हो सकती है पर धरा तो वास्तविकता है। यहीं से विचार प्रारम्भ होता है। इकबाल ने गाया है – 'हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा।' एक यह भाव है- बुलबुल भाव। गुलिस्तां है, और वृक्षों पर बहार है तब तक बुलबुल वहाँ है। जब पतझड़ आएगा तब? वह उड़ जाएगी। दूसरा एक मत्स्य भाव है। मछली अपने आलय, जल से पृथक अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करती। प्राण त्याग देगी पर पानी नहीं। आपकी जिस स्थान से अनन्य भक्ति होगी, आप उसे स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप उसे दुःख में छोड़कर जाने की कल्पना नहीं करेंगे। काष्ठ में भी छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भ्रमर कमल-दल-निमिलन पर रात भर उसी में कैद रहता पर छिद्र नहीं करता, इसे कहते हैं भक्ति और अनुराग। इसी प्रकार की श्रद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को जन्म भूमि से थी। वन गमन के समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने हृदय से अवध को प्रणाम किया, अर्थात् अवध उनके हृदय में निवास करता है –

'चढि रथ सीय सहित दोउ भाई।
चले हृदयँ अवधहि सिरू नाई।।'

जिस प्रकार संध्या के समय धेनु की गो-गृह की ओर आने की गति बढ़ जाती है और वत्सों की उत्सुकता, माँ को पुकारने की ध्वनि तीव्र हो जाती है, वैसा ही उल्लास अपनी मातृभूमि से पुनर्मिलन के समय प्रकट होता है। लंका से लौट कर अवध प्रवेश के समय सीता-राम के मनोभावों के प्रकटीकरण का इससे सुंदर चित्रण नहीं हो सकता-

'सीता सहित अवध कहुँ
कीन्ह कृपाल प्रनाम।
सजल नयन तन पुलकित
पुनि पुनि हरषित राम।।'

उत्तर काण्ड में भी जन्म भूमि के प्रति मनोभाव प्रकट हुए हैं उनको मैं यथा प्रसंग बताऊँगी।'' माँ श्वास लेने के लिए थोड़ा रुकी।

''क्या पश्चिम में मातृभूमि का विचार नहीं है? फिर इसमें विलक्षणता क्या है?'' अभिनन्दन ने पूछा।

''मदर लैण्ड, फादर लैण्ड के कथन नहीं मिलते, ऐसा हम नहीं कह सकते। किन्तु दोनों के प्रकारों में थोड़ा अंतर है। वहाँ मूलत: किसी नस्ल (Race) अथवा कबीले की लैण्ड है। मातृभूमि नहीं, क्योंकि वह सबकी माता नहीं, वह प्योर रेस की माता है। वह उस रेस की प्रोमिस्ड लैण्ड है। रेसिज्म (नस्लवाद) इसी का परिणाम है। आज कुछ मात्रा में अमलगम हुआ दिखाई देता है, पर यह संतरे के आवरण की तरह है। भारत के मातृभूमि भाव में सर्वस्वीकार्यता है, विविधता में एकात्मता है। माँ को गोरी-काली, लाल-पीली, नाटी-मोटी सब संततियाँ सहज स्वीकार होती हैं।'' माँ ने पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा में अंतर बताने का प्रयत्न किया।

''आप कैसे कह सकती हैं कि वहाँ अलगाव है, संकुचितता है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रूस इस अमलगम के उदाहरण नहीं हैं क्या?'' कन्नू कुमार ने प्रति प्रश्न किया।

''ये नेशन-स्टेट की अवधारणा में से उत्पन्न हुई भौगोलिक संरचनाएँ हैं। यूनाइटेड किंगडम में किनका यूनियन हुआ? मनों का या तनों का? यदि मनों का हो जाता तो इंग्लैण्ड, स्कॉटलैण्ड, वेल्स, आयरलैण्ड में सर्वत्र एक रेस हो जाती, पृथक् होने की माँग नहीं उठती। यू.के. का पूर्ण रूप केवल यूनाइटेड किंगडम नहीं है। पूरा नाम है 'यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दर्न आयरलैण्ड।' इससे ही पता चल जाता है कि यह नैसर्गिक नहीं 'असेम्बल्ड मदर' है। यूरोपियन यूनियन का 'ब्रेक्ज़िट' अर्थात् तलाक हो ही गया है, क्यों? विचार करो। ट्रम्प ने आते ही अमेरिका अमेरिकनों के लिए कहना व करना शुरू कर दिया, अश्वेतों की स्वीकार्यता तो अब तक नहीं बनी है, आस्ट्रेलिया ने नागरिकता के नियम कड़े कर दिए हैं। आस्ट्रेलिया और अमेरिका का पुत्र रूप मूल समाज आज भी प्रताड़ित है और जो भूमि पुत्र नहीं हैं, वे अपना ऐशोआराम बनाये रखने के लिए दूसरों पर वीजा प्रतिबंध लाद रहे हैं, यह है तुम्हारा तथाकथित ग्लोबलाइजेशन। बातें करते हैं 'वर्ल्ड इज फ्लेट' की और चिंता करते हैं अपनी ही 'प्लेट' भरी रहे।''

माँ ने कन्नू की बात का वर्तमान समाचार पत्रों के आधार पर समाधान करने का प्रयत्न किया।

''पर मेरी बात का उत्तर तो रह ही गया।'' विक्की का धैर्य जवाब देने लगा।

''मैंने अभी जो कहा उससे अभिनंदन का भी आंशिक समाधान हो जाना चाहिए, विक्की का भी। विक्की ने कहा है कि हम तीनों लोकों को स्वदेश तथा पूरी वसुधा को एक परिवार मानते हैं और केवल भारत-भक्ति तक ही अपने को संकुचित रखते हैं तो दोनों कथन विरोधाभासी नहीं हैं क्या? क्यों यही प्रश्न था ना?'' माँ ने पूछा

''हाँ!'' विक्की ने संक्षिप्त उत्तर दिया।

''कल संघ मित्र ने मुझे एक श्रव्य-दृश्य संयोजन दिखाया था। इसमें मुम्बई के किसी कार्यक्रम में, जिसमें यह केन्द्रीय विषय था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता व निषेधाधिकार (विटो पावर) मिलना चाहिए, बोलते हुए संघ के सरसंघचालक जी ने कहा कि 'विश्व का एक मात्र देश जिसे निषेधाधिकार मिलना चाहिए वह भारत है, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व को परिवार मानता है।' इस कथन का मर्म समझे क्या? रामचरित मानस के उत्तर काण्ड से कुछ चौपाईयाँ सुनो-

जद्यपि सब बैकुंठ बखाना।
वेद पुरान बिदित जग जाना।।
अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ।
यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ।।
अब मैं जाना अवध प्रभावा।
निगमागम पुरान अस गावा।।
अवध प्रभाव जान तब प्रानी।
जब उर बसहिं रामु धनु पानी।।

इन चौपाइयों का भाष्य हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में करते हैं। बैकुण्ठ और स्वर्ग में समस्त भोग उपलब्ध हैं। आज अमेरिका आदि भौतिक वैभव के कारण प्रथम विश्व कहलाते हैं। हमें थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। अमेरिका या पश्चिम की नकल ही आधुनिकीकरण का पर्याय माना जाता है। पर इनका वैभव स्वार्जित है या परजीनी चिंचड़ी जोंक पद्धति का है। चिंचड़ी अपने पोषण के लिए पशुओं का रक्त ही नहीं चूसती, उन्हें लाल बुखार (टिक फीवर) भी करती है। अपना जीवन स्तर बनाये रखने के लिए ये विश्व को अशांत , दु:खी, आतंक पीड़ित बनाये हुए हैं। क्या इनके हाथों में संयुक्त राष्ट्र की डोर रही तो विश्व शांति

स्थापित हो सकती है? इनके लिए वीटो पावर अपने कूटनीतिक खेल में जीत का पासा है। इसलिए श्री राम कहते हैं कि पुराणादि यद्यपि वैकुण्ठ के वैभव का वर्णन करते हैं, लोग उस वैभव का वर्णन सुनकर उसके प्रशंसक बनते हैं व अंधानुकरण का प्रयत्न भी करते हैं किंतु अवधपुरी के समान कोई प्रिय नहीं है, यह प्रसंग प्रत्येक की बुद्धि में नहीं आता। जहाँ हिन्दू जीवन दर्शन की प्रयोग भूमि, साधना भूमि है, उसी स्थान पर राम को 'जन्मभूमि मम पुरी सुहावन' तथा 'अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी' कहने का अवसर प्राप्त होता है । सब विविधताओं के होते हुए भी एक माँ के पुत्र के रूप में, एक परिवार के रूप में हम रह सकते हैं, इसे वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने साकार किया है। व्यष्टि से समष्टि तक इस एकात्मता की अनुभूति यहाँ की ऋषि प्रज्ञा ने की है तथा उसके व्यवहार हेतु यहाँ के जन मानस को उन्होंने संस्कारित किया है। यह भारत का प्रभाव किस कारण से है? रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि 'कोई भी प्राणी अवध का प्रभाव तब ही जान सकता है जब उसके हृदय में धनुर्धर राम वास करते हैं।' यह भारत के जागतिक उत्तरदायित्व का मर्म है। भारत का प्रभाव जानने, भारत का प्रभाव जागृत करने का एक मात्र उपाय है मर्यादा, शक्ति और करुणा के अवतार राम का अनुकरण, सतत स्मरण करना। इस आध्यात्मिक मनोरचना के कारण भारत कभी किसी का अहित चिंतन कर नहीं सकता, अहित-कृति कर नहीं सकता। अत: भारत भूमि से प्रेम का तात्पर्य है हिन्दू जीवन-दर्शन से स्नेह, जगत-कल्याण से स्नेह। इसलिए भारत-भक्ति संकुचितता नहीं है, विशाल हृदय बनने की साधना है। यही बात श्री राम ने कही है। इसी की ओर संकेत सरसंघचालक जी ने किया है कि भारत ही एकमात्र वीटो पावर का हकदार है क्योंकि यह जड़-चेतन की चिंता करनेवाला, वैश्विक मन वाला देश है। इस विश्व-मन का उद्‌गार है - 'स्वदेशो भुवन त्रयम्' इसी साधना का परिणाम है विश्व को परिवार मानना। शोषण की मनोवृत्ति वाले, अपने ही लोगों का जीवन स्तर बनाये रखने के लिए शेष संसार को युद्धरत रख हथियार बेचने वाले लोग विश्व को बाजार बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन का नारा देते हैं, सामूहिक सह अस्तित्व को साकार करने के लिए नहीं।'' माँ ने आज के स्वाध्याय-चिंतन सत्र का समापन करते हुए कहा। ❑

सूरत इकाई द्वारा सम्पन्न कर्तव्य बोध कार्यक्रम

वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी शैक्षिक संघ द्वारा कर्तव्य-बोध कार्यक्रम का आयोजन 03 मार्च 2019 को पी.टी. साइन्स कॉलेज के तारा-मोती हाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. शिवेन्द्र गुप्ता ने की। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे.पी. सिंघल की उपस्थिति विशेष रही। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथियों में युनिवर्सिटी के उप-कुलपति डॉ. भास्कर रावल, गुजरात प्रांत कार्यवाह श्री यशवंत भाई चौधरी, वी.न.सा. गु.शे.संघ के अध्यक्ष डॉ. अर्पित दवे और सचिव डॉ. केतनभाई देसाई भी उपस्थित थे।

कुलपति डॉ. शिवेन्द्र गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह तभी संभव है जब कि हर शिक्षक आचार्य चाणक्य की तरह राष्ट्र और शिक्षा के प्रति कर्तव्य भावना से ओतप्रोत हो और शिक्षक-विद्यार्थी के बीच में ज्ञान और परस्पर स्नेह का सेतु बना रहे। गुजरात प्रान्त कार्यवाह श्री यशवंत भाई चौधरी ने अपने संबोधन में राष्ट्रवाद की भावना पर जोर देते हुए कहा कि हर शिक्षक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के बारे में विद्यार्थियों को सचेत करे ताकि जे.एन.यू. जैसी जातिवादी और राष्ट्रविरोधी मानसिकता न पनपे, इसके प्रति प्रयत्नशील हो। हम सबमें राष्ट्र-भावना बलवती होगी तो भारत देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे.पी. सिंघल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महत्ता और उपयोगिता का उल्लेख किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्पष्ट करते हुए उसके हर पहलू पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की क्या भूमिका रही, इसकी भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बल देते हुए कहा कि महासंघ के लिए हर शिक्षक महत्त्वपूर्ण है और महासंघ हमेशा उनकी समस्याओं को उचित स्थान पर रखकर निराकरण करने का प्रयास करेगा।

वी.न.सा.गु.शै.संघ के अध्यक्ष डॉ. अर्पित दवे ने संगठन की उपयोगिता को समझाते हुए वी.न.गु.शै.संघ की उपलब्धियाँ गिनाई। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों की समस्याओं के लिये व.न.गु.शै.संघ क्या-क्या कार्य किये, इसका विस्तृत वर्णन किया। वी.न.सा.गु.शै.संघ के सचिव और सिंडिकेट सदस्य डॉ. केतनभाई देसाई ने संगठनात्मक मुद्दों की चर्चा की और हर शिक्षक संगठन का सदस्य बने इसकी जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का एक सत्र वी.न.सा.गु.शै.संघ के मार्गदर्शक और प्रो. विपुलभाई सोमाणी ने लिया। इस सत्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट और ओरडिनेन्स की विस्तृत चर्चा की। शिक्षकों को इस विषय पर शिक्षित करने का यह अनूठा प्रयास था। अधिकतर शिक्षक इस विषय से अनभिज्ञ थे । इस विषय द्वारा शिक्षकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हुआ। कार्यक्रम में करीब 300 शिक्षकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कई सिंडिकेट और सीनेट सदस्यों की उपस्थिति के अलावा कॉलेजों के प्राचार्यों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। अंत में वी.न.सा.गु.शै.संघ के कोषाध्यक्ष डॉ. कमलेन्दु पाण्डे ने आभार व्यक्त किया।

द्वेषतापूर्ण कार्यवाही के विरोध में रुक्टा (राष्ट्रीय) का जयपुर में धरना

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने महाविद्यालय शिक्षकों के दुर्भावनापूर्वक 500 से 700 किलोमीटर दूर तक किये गए स्थानांतरणों पर गहरा रोष प्रकट किया तथा सरकार की इस द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की निंदा की है। इन स्थानांतरणों के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदेशभर के रुक्टा (राष्ट्रीय) से सम्बद्ध शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया।

संगठन के महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि रुक्टा (राष्ट्रीय) के विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को वैचारिक प्रताड़ना देने के लिए इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करने के पश्चात कहा था कि हमारी सोच में नकारात्मकता नहीं दिखाई देगी। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की कथनी और करनी में अंतर दिखा है। राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े शिक्षकों के स्थानांतरणों से उच्च शिक्षा में भय और आतंक का वातावरण बना है तथा एक समूह द्वारा खुलेआम स्थानांतरणों की धमकियाँ दी गई है। शिक्षकों में इस बात की चर्चा है कि यह सब दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी की सहमति से हो रहा है। यह सारा विषय मुख्यमंत्री जी के और उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी के संज्ञान में लाने के बाद भी इस तरह की द्वेष पूर्ण कार्यवाही से सरकार की निष्पक्ष छवि का दावा खोखला साबित हुआ है।

संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हुए इन स्थानांतरणों से स्पष्ट है कि श्री अशोक गहलोत सबके मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि किसी शिक्षक गुट के नेता की तरह दुर्भावना से काम कर रहे हैं। प्रताड़ना का हाल यह है कि जारी सूची में संगठन के इकाई सचिव से लेकर विभाग और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को दूर-दूर फेंका गया है। संगठन के महामंत्री, अध्यक्ष और संगठन मंत्री को भी नहीं छोड़ा गया है। स्थानांतरण सूचियों में राजकीय सेवा नियमों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले जल्दबाजी में बनाई गई सूची में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर हुआ है और किस का स्वेच्छा से? एकल महिलाओं और हृदय एवं गंभीर रोगों से पीड़ित शिक्षकों को भी दूर-दूर तक भेज कर प्रताड़ित किया गया है। आयुक्तालय में स्वीकृत पदों से 4 गुना ज्यादा तक शिक्षक लगा दिए गए हैं।

राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जयंत सिंह ने स्थानांतरणों का विरोध करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी तथा अधिकांश शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। ऐसे में शिक्षकों के स्थानांतरण कतई उचित नहीं हैं। इससे परीक्षा और चुनाव कार्य दोनों में बाधा पहुँचेगी।

रुक्टा राष्ट्रीय के संगठन मंत्री डॉ. दीपक शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए रुक्टा राष्ट्रीय को एक जागृत संगठन बताते हुए कहा कि हमारा संगठन शिक्षा और शिक्षक हित में सदैव जागरूक रहा है। नव निर्मित राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विचार के कॉलेज शिक्षकों के संगठन रुक्टा राष्ट्रीय से सम्बद्ध शिक्षकों के दूरस्थ स्थानों पर दुर्भावनापूर्ण स्थानांतरण किए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर वो घटना जो शिक्षा, शिक्षक और समाज को प्रभावित करती है, उस पर प्रतिक्रिया देना संगठन का मूलभूत कर्तव्य है। आज का धरना-प्रदर्शन भी इसी की परिणति है।

रुक्टा राष्ट्रीय के पूर्व अध्यक्ष डॉ. संतोष पांडेय ने कहा कि वर्तमान सरकार की संकीर्ण मानसिकता का यह हाल है कि उसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। एक शिक्षक समूह द्वारा खुलकर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े लोकतांत्रिक संगठन को कुचलने के निर्देश दिए हैं। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अघोषित रोक लगाने पर आमादा हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के किस कथन को सच माने? चुनाव पूर्व अधिकारियों को दी गई चेतावनी कि हमारी सरकार आ रही है, देख लेंगे या चुनाव के बाद वक्तव्य कि वैचारिक दुर्भावना से कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के सदस्य जिस राष्ट्रीय विचार से जुड़े हैं, उसकी वजह से स्थानांतरित हो कर भी वह शिक्षक छात्र हित में और दृढ़ता से ही कार्य करेंगे। सरकार की दमनकारी नीतियों का संगठन पुरजोर विरोध करता रहेगा।

इस अवसर पर सह संगठन मंत्री डॉ. सुशील बिस्सू एवं संभाग संगठन मंत्री डॉ. सुरेंद्र सोनी, प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. रामनिवास जाट, डॉ. चेतन जोशी, डॉ. अरविंद महला, डॉ. ओ.पी. पारीक, डॉ. मनोज बहरवाल, डॉ. गीताराम शर्मा, कॉलेज शिक्षा के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉ. राजेन्द्र शर्मा आदि ने शिक्षकों को संबोधित कर आह्वान किया कि अन्याय का प्रतिकार किया जाना चाहिए। सरकार की शिक्षकों के प्रति दुर्भावना समाज में नकारात्मक संदेश लेकर जाएगी। फिर भी रुक्टा राष्ट्रीय से जुड़े शिक्षक अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करना जानते हैं। धरने में रुक्टा राष्ट्रीय से संबद्ध 150 से अधिक शिक्षक उपस्थित रहे।

जे.वी.एस.एस. की कार्यकारिणी बैठक आयोजित

जम्मू विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ की कार्यकारिणी बैठक जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक का आरम्भ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से किया गया। डॉ. अजय (अध्यक्ष) द्वारा श्री देवराज ठाकुर को पुष्प भेंट किए गए व सदस्यों का विधिवत् स्वागत किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो कि यशवन्त भवन, मुम्बई (महाराष्ट्र) में आयोजित थी, में सर्व सम्मति से जम्मू विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ, जम्मू कश्मीर को महासंघ की सम्बद्धता प्रदान की गई। इस शुभ समाचार को जम्मू विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के महामंत्री डॉ. जसपाल सिंह वरवाल ने कार्यकारिणी की बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की कार्यकारिणी का धन्यवाद किया। इसके उपरान्त वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा की विस्तार से चर्चा की। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करते हुए उनके निदान को विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों से भेंट करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रो. अनीता बलौरिया, डॉ. विरेन्द्र कुण्डल, डॉ. सत्यप्रिय (कोषाध्यक्ष) डॉ. मनोज हीर (प्रेस सचिव) डॉ. गरिमा, डॉ. सन्दीप आर्य, डॉ. भारती प्रभाकर एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

ABRSM,W.B. Organized Two days Abyhasvarg

Akhil Bharatiya Rashtriya Mahasaikshik Sangha , West Bengal organized an Abhyashvarg in Katwa, East Bardhaman, West Bengal on 16th-17th March, 2019. It was held at Chatni Sishu Mandir, Katwa. All three wings affiliated with ABRSM participated in the Abhyashvarg. There were 111 (one hundred and eleven) participants. The programme began at 11 am on Saturday, 16th March with lightning of lamp, garlanding of photos of Goddess Saraswati and Bharatmata, recital of Sankara-charya sloka followed by Swarasti Vandana. A minute's silence was observed for the martyrdom of jawans and the recent sad demise of students on their way to Board exams. Participants in the varg introduced themselves districtwise. Then Sri Alok Chattopadhyaya, Organizing Secretary, ABRSM West Bengal discussed the nature and aims of the barg.

The second session was conducted by Sri Mahendra Kapoor, organizing Secretary, ABRSM, who spoke about organizational structure of ABRSM. The third and fourth sessions were parallel sessions conducted by Sri Mahendra Kapoor and Sri Mahendra Kumar, Higher Wing In-charge, ABRSM. They discussed how education can enable students to become patriotic and responsible citizens. Teachers must live out their ideals in daily life and behaviour and then students will learn from them. Once they teach students to become nationalistic in their thinking and behaviour respect for teachers will automatically be given by society. This is the aim of ABRSM as a whole. ABRSM has changed the discourse of teaching community. A karyakarta of ABRSM therefore does not fulfil only his duty as a teacher but also as a human being. With this aim in mind he should try to increase the strength of his organization through increase of membership, programmes, regular discussions, seminars on different topics, welfare work, abhyasvarg. The three abyashik karyakrams Kartavya bodh divas, Varsha pratipada and Guruvandana were discussed in detail as was the importance of holding programmes on saswat jivan mulya. The evening was also enlivened by a cultural performance by students of the Sishu Mandir.

On 17th March, Sunday the programme began with launching of a book by J. A. O. G. S on Abhyasbarga which discusses ABRSM and its work. The fifth session was conducted by Sri Mahendra Kumar on saswat jivan mulya. In the sixth session the speaker was Sri Atul Kumar Biswas, Prant Sanghachalak who discussed the importance of exercising our franchise properly and promptly as an Indian citizen. In the seventh session Sri Mahendra Kumar spoke further on the duties of an ABRSM karyakkarta and how to strengthen the position of teachers in society.

The valedictory session was anchored by Sri Gouranga Das, General Secretary B. S. S. S. It began with a question answer session with Sri Mahendra Kapoor. Abhayasvarg is concluded by vote of thanks and Shanti Mantra.

दिल्ली अध्यापक परिषद् की नवनियुक्त शिक्षा निदेशक से भेंट

दिल्ली अध्यापक परिषद् का एक प्रतिनिधि मंडल संरक्षक श्री जय भगवान गोयल, अध्यक्ष वेद प्रकाश एवं महामंत्री राजेन्द्र गोयल के नेतृत्व में नवनियुक्त शिक्षा निदेशक श्री बिनय भूषण से 15 मार्च 2019 को एक शिष्टाचार भेंट कर स्वागत किया, साथ ही दिल्ली अध्यापक परिषद का परिचय कराया और बताया कि परिषद, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जनवरी में शिक्षकों का कर्तव्य बोध कार्यक्रम करती है, इसमें शिक्षा अधिकारियों को और अभिभावकों को विशेष आमंत्रित किया जाता है, समय-समय पर शाश्वत जीवन मूल्यों पर गोष्ठी करते हैं। पिछले वर्ष परिषद ने विभाग से अनुमति लेकर दिल्ली के सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण कराया, शिक्षा निदेशक ने परिषद के कार्य को सराहा और दिल्ली अध्यापक परिषद को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया।

दिल्ली के विद्यालयों की ज्वलंत समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु अनुरोध किया। शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की MACP से संबंधित समस्या पर चर्चा की और यथाशीघ्र समाधान तलाशने का अनुरोध किया। परिषद ने द्वितीय पाली (Evening Shift) के 9वीं कक्षा की परीक्षा में आये प्रश्नपत्र में सांप्रदायिक आधार पर की गई टिप्पणी पर भी सवाल उठाया और प्रश्नपत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों पर विभागीय कार्यवाही करने की माँग की।

निदेशक महोदय ने सभी विषयों को न सिर्फ पूर्ण गंभीरता से सुना अपितु उनके स्थायी समाधान हेतु हर सम्भव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के साथ 'न्यूनतम प्रारम्भिक वेतनमान' के विषय पर हो रहे भेद-भाव पर पूर्णविराम लगाते हुए निदेशक महोदय ने संबंधित विभाग को इस संवेदनशील विषय पर शीघ्र परिपत्र जारी करने का आदेश भी दे दिया है। इस अवसर पर राजकीय निकाय के अध्यक्ष अजय सिंह, सहायता प्राप्त निकाय के अध्यक्ष राजेश पालीवाल, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज शर्मा, संयुक्त मंत्री धर्मवीर शर्मा, कार्यालय प्रमुख सन्तोष आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।